14.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FORTY-THIRD REPORT

Shri Hem Raj (Kangra): I beg to move:

"That this House agrees with the Forty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 29th April, 1964."

Mr. Deputy-Speaker: The question is. . . .

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): I request that the time allotted for Shri Yadava's Resolution may be extended by one hour.

Mr. Deputy-Speaker: That is not in the report. We are adopting the report now. We shall take that up later.

The question is:

"That this House agrees with the Forty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 29th April, 1964."

The motion was adopted.

RESOLUTION *RE*: DISPARITY IN INCOME—*contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now proceed with the further discussion of the Resolution on Disparity in Income moved by Shri Bhishma Prasad Yadava on the 22nd April, 1964. Shri Yadava has already taken 22 minutes.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, the time should be extended for it. It is a very important resolution.

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : इसमें और समय बढ़ाया जाये क्योंकि बहुत लोग बोलना चाहते हैं ।

Mr. Deputy-Speaker: Let him finish his speech. The hon. Member may take two or three minutes and finish his speech.

श्री भी० प्र० यादव (केसरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बार कह रहा था कि हमारे देश में आर्थिक विषमता कितनी बढ़ रही है और मैं ने इस ओर सरकार का ध्यान दिलाया था ।

अब मैं सरकार का ध्यान रिजर्व बैंक की उस रिपोर्ट की ओर भी दिलाना चाहता हूं जो कि गांव वालों की आर्थिक स्थिति के बारे में प्रकाशित हुई है। उस में साफ तौर पर बताया गया है कि गांवों की स्थिति किस तरह की है। उस में कहा गया है कि गांव वालों पर कुल ऋण ३० अरब है। सारे देश में गांवों में ७ करोड़ ४० लाख परिवार रहते हैं, इस प्रकार अगर औसत निकाला जाये तो प्रति परिवार ४०० रुपये का औसत करजे का आता है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह सारा ऋण ब्रिटिश शासनकाल से लदा हुआ चला आ रहा है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल एक साल में यानी सन् १९६१-६२ की साल में गांव वालों ने १३ अरब ३२ लाख का कर्जा लिया है। उस रिपोर्ट में यह भी बतलाया गया है कि इस कर्जे में से, यानी ३० अरब के कर्जे में से ८ प्रति शत सहकारी समितियों से लिया गया है और शेष ९२ प्रति शत महाजनों से ऊंची दर पर लिया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि हमारी सहकारी समितियां कितनी सफल हो रही हैं।

हम ने योजना बनाते समय यह ध्यान रखा है कि गांव का हर आदमी हम को अपना वित्तीय सहयोग देगा। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हम जो गांव वालों से आर्थिक सहयोग की आशा किये हुए थे वह पूरी नहीं हुई है क्योंकि उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि गांवों की गरीबी

कितनी भयानक है ।

हमारे सामने दो रिपोर्टें आयी हैं, एक तो रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति के बारे में और दूसरी महालानेविस कमेटी की रिपोर्ट । ये दोनों दो छोरों को प्रदर्शित करती हैं कि हमारी आर्थिक अवस्था कैसी है । इनसे पता चलता है कि हमारे देश में कितनी भयानक विषमता है । यह इन रिपोर्टों से साफ जाहिर हो जाता है ।

इतना कह कर मैं अपना प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं ।

Mr. Deputy-Speaker: Resolution moved:

"This House is of opinion that Government should appoint a Committee of Members of Parliament and economic experts to review the progress made towards the reduction of disparity between the lowest and highest income to the order of 1:30 over the next two or three Plan periods."

There are some amendments.

Shri Yashpal Singh (Kairana): I beg to move:

That for the original resolution, the following be substituted, namely:—

"This House is of opinion that Government should appoint a Committee of Members of Parliament and economic experts to suggest ways and means for taking concrete measures during the Fourth Five Year Plan to reduce the great disparity prevailing between the lowest and the highest income." (1).

Shri D. S. Patil (Yeotmal): I beg to move:

That in the resolution,—

after "economic experts" *insert*—

"not exceeding ten". (2).

Mr. Deputy-Speaker: Shri H. C. Soy —not here. One and a half hours is the time allotted. One hour and eight minutes are left.

Shri S. M. Banerjee: Sir, kindly extend the time for this by at least half an hour.

Some Hon. Members: By one hour.

Mr. Deputy-Speaker: All right. The time for this Resolution is extended by one hour.

Shri Sarjoo Pandey.

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं । सब को यह बात मालूम है कि हमारे देश में समाजवाद को स्थापित करने की कल्पना है । लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ तो देश में गरीबी बढ़ती जाती है और दूसरी तरफ अमीरी बढ़ती जाती है । माननीय सदस्य ने अपने भाषण में महालानोविस कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया और रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का जिक्र किया । मैं उनके आंकड़ों के जाल में नहीं पड़ना चाहता । लेकिन अगर आप आज देश की आर्थिक स्थिति को देखें तो आप को पता चलेगा कि अमीरी और गरीबी के बीच एक भयानक खायी है । एक तरफ आदमी अखाद्यों पर निर्वाह कर रहे हैं । कई माननीय सदस्यों ने इस सदन में बताया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरीब लोग गोबरहा खाते हैं और दूसरी तरफ

एक माननीय सदस्य : अब नहीं खाते ।

श्री सरजू पाण्डेय : अब भी खाते हैं, मेरे पास इसका सबूत है, आप चल कर देख सकते हैं । तो एक तरफ तो लोग गोबरहा खाते हैं और दूसरी तरफ पुलाव खाते हैं । अगर इस प्रकार की विषमता देश में कायम रहेगी तो समाजवाद की कल्पना कैसे साकार हो सकती है ।

[श्री सरजू पाण्डेय]

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि लोग गोबरहा नहीं खाते। लकिन मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि केवल गोबरहा ही नहीं, लोग तालाबों में पैदा होने वाली घासों की जड़ें खा कर रह रहे हैं। हम देखते हैं कि एक ओर लोगों की आय बढ़ती जाती है और दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जिनको खाना, कपड़ा मकान आदि नहीं मिलते और जिनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा प्राप्त नहीं है।

हमारी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और कहती है कि हम ने बहुत कुछ किया है और इन कामों की रिपोर्टें भी आ जाती हैं। लेकिन, जैसा मैं ने पहले भी कई बार कहा है ये रिपोर्टें सत्य पर आधारित नहीं होतीं। अगर गांवों की हालत को देखें तो ठीक मालूम होगा कि इन रिपोर्टों में क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर कागज़ के आंकड़ों में हम देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दुस्तान में बहुत प्रगति हुई है। सरकारी किताबें जो प्रकाशित होती हैं उनमें जो आंकड़े प्रकाशित होते हैं उनसे बहुत अच्छी तस्वीर दिखाई देती है। दरअसल हक़ीक़त यह है कि देश की जनता की हालत बहुत ख़राब है। अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में पटेल आयोग ने जांच की है। उस ने बतलाया है कि गाजीपुर, बलिया आदि में खेत पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी ६० नया पैसा प्रति दिन प्रति मजदूर है जबकि मथुरा में एक खेत मजदूर की आमदनी एक रुपये चार आने प्रतिदिन है। य आर्थिक असमानता की खाई हमारे यहां बढ़ती ही जा रही है और इस की रोकथाम करने के लिए ज़रूरी है कि एक कमेटी बनाई जाय।

साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि यह कमेटी जोकि इस बात की जांच करेगी वह ऐसे सुझाव भी दिलाये जिससे कि बड़े बड़े लोगों की आमदनी घटाई जाय और छोटे लोगों को अवसर दिया जाय ताकि वे आगे बढ़ सकें क्योंकि हमारे देश में १०० में से ९९ आदमी ऐसे हैं जिनको कि समान अवसर प्राप्त नहीं हैं। यूं तो हमारे संविधान में लिखा है कि हर एक आदमी कानून की नजर में बराबर है, हर आदमी को रोज़गार हासिल करने का बराबर अधिकार है। संविधान में लिखा तो है ही और मंत्री महोदय भी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बग़ैर खाने मरने नहीं दिया जायगा लेकिन कौन नहीं जानता कि आज देश में कितनी भयंकर ग़रीबी और आर्थिक असमानता विद्यमान है? वह लाज़िमी तौर पर एक भयानक स्थिति उत्पन्न किये हुए है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को इस तरह से वापिस न लें और सरकार इस को माने। खुद सरकार भी इस बात को जानती है, भले ही सरकार कहे या न कहे लेकिन सरकार इस बात को महसूस करती है कि हमारे देश की अवस्था बहुत भयानक है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रस्तावक महोदय उसे वापिस न लेंगे। सरकार इस को माने और इस बात का सदन को आश्वासन दे कि वह इस पर अमल करेंगे। जहां तक जांच करवाने का सवाल है मेरा कहना है कि इस तरह की जांच कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर आदमी इस बात को जानता है कि हमारे देश में आर्थिक विषमता कायम है। हमें बड़े बड़े पेट वालों के ऊपर थोड़ी रोड़ी रखनी होगी ताकि पहले से ही बड़ा पेट और भी बढ़ता न चला जाय। इस के साथ ही ग़रीब का पेट जो कि आये दिन सूखता चला जा रहा है उस के लिये ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि उसके वह दोनों पीठ और पेट सट न जायें। इस तरह की व्यवस्था करने से ही देश में समाजवादी समाज की स्थापना हो सकेगी। केवल ज़बानी जमाखर्च करने से समाजवादी समाज की स्थापना देश में संभव नहीं है। इस लिये मैं मूल प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार उस को स्वीकार करेगी।

श्री दे० शि० पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री भीष्म प्रसाद यादव ने आय में असमानता के बारे में जो संकल्प पेश किया है उस के लिये में उन्हें धन्यवाद देता हूं और साथ ही उस संकल्प का हृदय से समर्थन करता हूं ।

प्रस्तावक महोदय ने बड़े अच्छे तरीके से अपना संकल्प रखा हैं और समिति की नियुक्ति की आवश्यकता बताई है ।

हमारे संविधान के निर्देशक सिद्धातों में इन नीतियां का सुन्दर समावेश किया है । तृतीय पंचवर्षीय योजना के अध्याय १ में आय में विषमतायें, का एक चैप्टर दिया हुआ है । हम ने देश में लोकशाही समाजवाद लाने की प्रतिज्ञा की है लेकिन देश में सम्पत्ति का केन्द्रीकरण और आय की विषमता बढ़ती ही जा रही है । पंविधान के निर्देशक तत्त्वों में यह स्पष्ट बताया गया है कि सरकार आर्थिक शक्ति का केन्द्रीय करण रोकने के लिये कार्यवाही करेगी और उसी दष्टिकोण से हम ने आय की विषमता दूर करना, दूसरी और तीसरी योजना का एक लक्ष्य बनाया है ।

कराधान जांच आयोग ने यह विचार व्यक्त किया है कि कर देने के बाद, आपकी उपयुक्त परिधि औसतन पारिवारिक आयकी करीब ३० गुनी होनी चाहिये । मोटे तौर पर प्रस्तुत किया गया यह लक्ष्य क्रमश: अगली दो या तीन योजनाओं की अवधि में प्राप्त किया जाना चाहिये लेकिन वास्तव में दिखाई यह पड़ता है कि प्रवृत्ति विपरीत दिशा में है । धन सम्पत्ति और आर्थिक शक्ति कुछ थोड़े लोगों के हाथों में इकट्ठी हो गई है । महालनविस समिति ने इस बात की पुष्टि की है कि हमारी योजनाओं के बावजूद आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण बढ़ रहा है । देश में आय के वितरण तथा रहन सहन के स्तर का अध्ययन करने वाली महालनविस समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि दो पंचवर्षीय योजनाओं तथा धनी लोगों पर अधिक कर लगाने की नीति के बावजूद राष्ट्र की बहुत अधिक आय शहर वालों के पास केन्द्रित हो रही है । रिपोर्ट में यह दो मुख्य बातें दी हैं । एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आय के वितरण में बहुत असमानता है और थोड़े से लोगों के हाथ में आर्थिक सत्ता एकत्रित हो गई है । दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि बैंकों से निजी क्षेत्र को जो कर्ज मिला है उस का मुख्य लाभ बड़ी और मध्यम दर्जे की कम्पनियों को हुआ है । छोटी छोटी कम्पनियां जिनका कि कैपिटल पांच लाख से नीचे हैं उन को और कृषि को ऋण नहीं के बराबर मिला है । उन्होंने यह भी कहा है कि आय तथा सम्पत्ति विभाजन में भारी असमानता है और थोड़े से लोगों के हाथ में आर्थिक सत्ता एकत्रित हो गई है । सन् १९५५-५६ में देश के ५ प्रतिशत लोगों के हाथ में देश की कुल आय का २३ प्रतिशत था जब कि इन में से भी चोटी के १ प्रतिशत लोगों के हाथ में राष्ट्र की ११ प्रतिशत आय थी । इस के विपरीत सब से निचले स्तर के २५ प्रतिशत व्यक्तियों को राष्ट्रीय आय का केवल १० प्रतिशत मिलता था । बड़े लोगों के हिस्से में जो उनकी स्वायत आय थी वह इस अवधि में ५.२ से बढ़ कर ५.७ प्रतिशत हो गयी है । जैसे बड़े लोगों की आय बढ़ी है उसी तरीके से जो कन्ट्रैक्टर्स लोग हैं उनकी भी आय बढ़ी है वह हाइएेस्ट इनकम हैं । दक्ष श्रमिक कारखाना मजदूर, खान मजदूर, बागान मजदूर और स्कूलों के अध्यापक की आय थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन देहाती मजदूरों की आय में कोई वृद्धि प्रतीत नहीं होती । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है :—

"A notable exception is agricultural labourers, who do not seem to have shared in the increase in income."

परसनुल प्रापर्टी और वैल्थ के बारे में देखा जाय तो देहाती और शहरी दोनों क्षेत्रों में जमीनों

[श्री दे० शि० पाटिल]

और मकानों के रूप में या कम्पनियों के शेयर के रूप में, सम्पत्ति के विभाजन में बहुत असमानता है। कुछ लोगों के हाथ में बहुत सी सम्पत्ति केन्द्रित हुई है। वर्तमान स्थिति खतरनाक है और उसे रोका जाना चाहिये। यह मेरी राय है देश में ५० लाख लोग सिर्फ शहर में बेघर हैं। देश में भयानक ग़रीबी है और उसका एक सबूत देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९६१-६२ के साल में भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आमदनी मैं दे रहा हूं। सब से नीचे के १० प्रतिशत की मासिक आमदनी ६ रुपये ६० नये पैसे थी उस के ऊपर के १० प्रतिशत की मासिक आमदनी ९ रुपये ६० नये पैसे थी। उस के ऊपर तृतीय श्रेणी की मासिक आमदनी ११ रुपये ७० नये पैसे थी चौथी श्रेणी की १३ रुपये और २५ नए पैसे थी। पांचवी श्रेणी की मासिक आमदनी १७ रुपये ३५ नये पैसे थी और छठी श्रेणी की मासिक आमदनी २१ रुपये ५० नये पैसे थी। इसमें भारत के ६० प्रतिशत अर्थात २५ करोड़ लोगों की आमदनी प्रति व्यक्ति आ गयी। सब से निम्न स्तर वाला प्रति व्यक्ति ६ रुपये ६० नए पैसे मासिक कमाता है यानी पांच मनुष्यों के परिवार को ३३ रुपये मिलते हैं। भारत की जन संख्या ४५ करोड़ है। तो यह साढ़े ४ करोड़ लोगों की स्थिति है। पांच मनुष्य के परिवार में पति, पत्नी, बच्चे मिल कर उन्हें १६ घंटे काम मिलता है, ऐसा मानना चाहिये। इस का अर्थ यह हुआ कि १६ × ३० = ४८० घंटे काम की मजदूरी ३३ रुपये हुई यानी एक घंटे की मजदूरी ७ नए पैसे से कुछ कम है।

इस के अलावा मैं गरीबी बढ़ने के सबूत का एक और उदाहरण दे रहा हूं। अखिल भारतीय कृषि जांच समिति इस बारे में बैठी थी और उस कमेटी ने अपनी १९५७ की रिपोर्ट में यह कहा है:—

"So far as agricultural labour and weaker section was concerned their condition had worsened. The daily wage rate of casual male labour had gone down from 109 nP in 1950-51 to 95 nP. in 1956-57.

Agricultural labour households in debt increased from 45 to 64 per cent. The employment position had also not been satisfactory."

एक दूसरी रिपोर्ट रिज़र्व बैंक सर्वे की है जिस के द्वारा देश की भयंकर ग़रीबी और भारतीय गांवों की निर्धनता का का भयावह तथा नग्न रूप सामने आता है। उस में कहा गया है कि भारतीय ग्राम ३,००० करोड़ रुपये के कर्जे में दबे हुए हैं। अभी पहले वक्ता महोदय ने बताया है कि १९६१-६२ में १३३२ करोड़ रुपये का कर्जा भारतीय ग्रामों पर चढ़ा है। दूसरे शब्दों में एक ही साल में भारत की ग्रामीण जनता कुल कर्जे के ४५ प्रतिशत की भागीदार बनी है।

हमारी तेरह वर्षों की योजना के बाद भी हमारे गांवों की आर्थिक स्थिति में ऐसा कोई अन्तर नहीं आया है, जिस पर थोड़ा बहुत सन्तोष किया जा सके। जो किसान खेती में लगा हुआ है, वह साल में कई दिन बेकार रहता है। देहाती लोगों को कृषि तथा छोटे धंधों में लगाने के लिये पैसा नहीं मिलता है। थोड़े से लोगों के हाथ में धन इकट्ठा होने का नतीजा यह हुआ है कि हमारे देश में कुछ उद्योग-धंधों पर थोड़े लोगों का एकाधिकार हो गया है। हमारे संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में यह कहा गया है कि हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो, जिस में धन और उत्पादन के साधन केवल कुछ

ही लोगों के हाथों में सीमित न रहें। समाज-वाद हमारा लक्ष्य है और समाज-विरोधी कार्यों तथा बुराई को मिटाना हमारा काम है। अगर वर्तमान प्रवृत्तियों की रोक-थाम न की गई तो हमारी प्रगति के रुकने का भय है और जो धनी हैं, वे धन-कुबेर बन जायेंगे।

आख़िर में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान और इस पार्लियामेंट का ध्येय समाजवाद है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार संसद्-सदस्यों और आर्थिक विशेषज्ञों की एक ऐसी समिति नियुक्त करे, जिन की संख्या दस से अधिक न हो और वह समिति आगामी दो या तीन योजनाओं में उच्चतम और निम्नतम आय की विषमता को १ : ३० तक कम करने के बारे में स्थिति का पुनर्विलोकन करे।

श्री यशपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो काम सरकार के करने का था, वह एक प्राईवेट बिल की शक्ल में इस हाउस के सामने आया है। हम ने आज से १७ साल पहले यह बात सोची थी कि हमारे देश से ग़रीबी, भूख और बेरोज़गारी बिल्कुल मिट जायगी। मैंने अंग्रेज़ों के ज़माने में देहात में ऐसी स्थिति नहीं देखी थी कि रात को कोई भूखा सोता हो—शहर का मुझे पता नहीं है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य, श्री सरजू पाण्डेय, ने कहा है, आज देहात में हालत यह है कि हज़ारों आदमी रात को भूखे सोते हैं। कहां चली गई इतनी दौलत—वह दौलत जो महात्मा गांधी ने ले कर दी थी ?

अगर सरकार चालीस फ़ीसदी भी ईमानदारी से काम करती, अगर वह चालीस फ़ीसदी भी ग़रीबों की रक्षा के लिए काम करती और साठ फ़ीसदी भले ही शोषण और एक्स्प्लायटेशन होता रहता, तो फिर देश का कोई भी आदमी भूखा या नंगा न रहता। गवर्नमेंट बैंचिज़ की तरफ़ से यह बयान दिया गया कि अकेले दिल्ली शहर में सर्दी के मौसम में ऐसे ३७ आदमियों की लाशें मिलीं, जिन के पास एक चटाई या बोरिया तक नहीं था, जिन के पास सेंकने के लिए उपला तक नहीं था। देश यह हालत कब तक बर्दाश्त कर सकता है ? बजाये इस के कि सत्तारूढ़ दल भुवनेश्वर में जा कर प्रस्ताव पास करता, वह गेहूं की कीमत में दस रुपये मन और चीनी की कीमत में पांच रुपये मन की कमी कर के दिखलाता।

प्रस्तावों से जनता का पेट नहीं भरता है। भूखा आदमी प्रस्ताव से अपना पेट नहीं भर सकता है। संस्कृत के एक बहुत बड़े कवि ने कहा है :

बुभुक्षितैः व्याकरणं न भुज्यते
पिपासितैः काव्यरसो न पीयते

जो बेकारा भूखा और प्यासा है, जो तंगदस्त है, उस का पेट कविता से नहीं भर सकता है, उस को अच्छी शायरी सुना कर या व्याकरण दे कर खुशहाल नहीं बनाया जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि वर्तमान ढांचे को आमूल-चूल परिवर्तित किया जाये।

हमारा जो सिपाही, हमारा जो जवान, लद्दाख़ की चोटियों पर लड़ता है, उस को ६२ रुपये महीने पर ख़रीदा जाता है और जो बिजली के पंखे के नीचे बैठता है, उस को चार हज़ार रुपये माहवार तनख्वाह दी जाती है। चार हज़ार रुपये और ६२ रुपये का जो भेद है, जो डिस्पैरिटी है, वह बहुत दिनों तक जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठायेगी, तो जनता कदम उठा लेगी। इस का एक इलाज यह है कि जो प्रस्ताव सदन के सामने आया है, जो

[श्री यशपाल सिंह]

बड़ा सुन्दर प्रस्ताव है, सरकार उस को मान ले। यह सरकार के फ़ायदे में है। जो पहल कर लेगा, वह जीत में रहेगा। अगर सरकार ने पहल कर ली, तो वह जीत में रहेगी, लेकिन अगर सरकार पहल न कर सकी, तो जनता पहल कर लेगी और वह जीत में रहेगी।

यह इतना इन्नोसेंट रेज़ोल्यूशन है कि इस पर सरकार को न राय लेने की ज़रूरत है, न मत-विभाजन कराने की ज़रूरत है और न प्रस्तावक महोदय को इसे वापस लेने के लिये कहने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि इस प्रस्ताव को ज्यों का त्यों मान लिया जाये। आज से यह काम शुरू किया जाय। अभी तक भी यह हालत है कि किसान जो गरीब है, उस की तरफ अगर चार रुपये रह जाते हैं बकाया लगान के तो उसके हथकड़ियां डाल दी जाती हैं, उसको जेल में बन्द कर दिया जाता है उस के वारेंट इशू कर दिये जाते हैं लेकिन मिल मालिकों की तरफ करोड़ों रुपया जो इनकम टैक्स का और सेल्ज़ टैक्स का पड़ा हुआ है, जो इस रुपये को मारे बैठे हैं, और जिस को मारे हुए आज आठ साल हो गए हैं, उनके खिलाफ न आज तक कोई वारेंट इशू हुआ है, न किसी की कुड़की हुई है और न ही किसी को जेल में डाला गया है और न ही उन से किसी प्रकार का कोई जवाब तलब किया गया है। समाज की डिस-पैरिटीज़ तभी हटेंगी जब सरकार हटाना चाहेगी। सरकार समाजवाद का नारा इस-लिए लगाती है कि सरकार को वोट मिल जायें और वोट मिलने के बाद जब वह पांच साल के लिए आ जाती है और उन की पार्टी की सरकार बन जाती है, तो जो समाजवाद का नमूना अस्तित्व में लाया जाता है, उस की एक मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अन्दर ६०,००० मुलाज़िम ऐसे हैं जिन को पांच रुपये माहवार में ख़रीदा जाता है। पुलिस के चौकीदार की तनख्वाह आज भी वहां पांच रुपये माहवार है। सामाजिक जो विषमता है, इस को जनता बरदाश्त नहीं कर सकती है। किसी देश के अन्दर ऐसा नहीं होता है कि जो पैदा करने वाला हो वह भूखा रहे। यह यहां पर ही होता किसान करोड़ो रुपया पैदा करता है लेकिन यह भूखा रहता है। किसान का गल्ला तो तेरह रुपये मन खरीदा जाता है लेकिन जब किसान को बोने के लिए गल्ला खरीदना पड़ता है तो २८ रुपये मन के भाव से खरीदना पड़ता है। १३ रुपये मन बेच कर २८ रुपये मन उस को खरीदना पड़ता है। किसी देश के अन्दर ऐसा नहीं होता है। जो लोग समाज-वाद का नारा नहीं लगाते हैं, उन देशों के अन्दर भी ऐसा नहीं होता है।

जरूरत इस बात की है कि सरकार ठोस कदम उठाये और ठोस कदम तभी उठाये जा सकते हैं जब इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाय और मंजूर करने के बाद इस पर अमल किया जाय। खास तौर से आज हमारे देश में इस बात की जरूरत है कि सौ रुपये माहवार से कम किसी की तनख्वाह न रहे। सौ रुपये माहवार से कम किसी को तनख्वाह देना देश के ऊपर कलंक है, देश के ऊपर सब से बड़ा धब्बा है, सब से बड़ा दाग है। किसी भी इंसान को सौ रूपये माहवार से कम पर नहीं खरीदा जाना चाहिये।

मजदूरों की हालत आज क्या है इस को आप देखें। आप कहते हैं कि दिल्ली में एक एक चारपाई पर कई कई आदमी सोते हैं। लेकिन देहात की हालत भी क्या आप को मालूम है? वहां पर मजदूर खच्चर के साथ, गधे के साथ सोता है और रात को जब बारिश होती है तो सारे का सारा पानी उसके छप्पर पर से गुज़र कर उस

पर पड़ता है । आप जो फजूल में खर्च करते हैं, उसको आप रोक सकते हैं । फजूलखर्ची का मैं एक ही नमूना देना चाहता हूं । स्टील उद्योग के अन्दर ३८ लाख रुपया सरकार ने डेमरेज के तौर पर दिया है, जुर्माने के तौर पर दिया है । अगर उसको समय पर छुड़ा लिया जाता है तो यह रुपया जुर्माने के तौर पर न देना पड़ता और इस को मजदूरों की बहबूदी पर खर्च किया जा सकता था ।

महात्मा गांधी ने कहा था कि डेटलैस इंडिया होगा, हिन्दुस्तान उऋण होगा, भारत का कर्ज बेबाक हो जायगा । स्वतंत्र भारत में इस प्रकार के सुन्दर स्वप्न वह देखा करते थे । उन्होंने वादा किया था कि हिन्दुस्तान के किसी भी शख्स के ऊपर और खास तौर से देहात के ऊपर कर्ज नहीं रहेगा । लेकिन अभी बताया गया है कि तीन हजार करोड़ रुपया आज किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर कर्ज का है । मैं उपमंत्री महोदया से प्रार्थना करता हूं कि वह एलान करें कि यह हिन्दुस्तान डेटलैस होगा, किसी पर कोई किसी किस्म का कर्ज नहीं रहेगा । साहूकारों ने जो रुपया कमाया है, वह रुपया वे अपने बाप दादों के यहां से नहीं लाये हैं, वह रुपया किसान और मजदूर का है और उन से ही यह रुपया इकट्ठा किया गया है । आज दो रुपया फी सैकड़ा महीना सूद का लिया जाता है । कोआपरेटिव सोसाइटीज की हालत यह है कि साढ़े नौ परसेंट वे सूद लेने लग गई हैं । हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सौ साल में दुगुना लेना चाहिये । धर्मशास्त्रों के अनुसार आज अगर मैं सौ रुपये कर्ज लेता हूं तो सौ साल के बाद मुझे दुगुना यानी दो सौ रुपया देना होगा । लेकिन हमारे यहां तो आज दो तीन साल में ही यह दुगुना हो जाता है । आज जरूरत इस बात की है कि सूदखोरी, मुनाफाखोरी को खत्म किया जाय और मेरी प्रार्थना है कि इस इनासेंट प्रस्ताव को जरूर मंजूर किया जाय ।

15 hrs.

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : जो प्रस्ताव मेरे नौजवान दोस्त, श्री बी० प्र० यादव इस सदन के सम्मुख लाए हैं, उस के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं । उन्होंने सदन को फिर यह अवसर दिया है कि सदन इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार कर सके । पिछले साल इन्हीं दिनों मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था इसी प्रकार के एक प्रस्ताव को लाने का लेकिन उस समय सरकार इस बात को निश्चयपूर्वक नहीं मानती थी कि देश में आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, आय की असमानता घटती नहीं बढ़ती जा रही है । लेकिन जो अब सरकार के पास आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, उन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया है इस बात को मानने के लिए कि विषमता बढ़ती जा रही है, जो तरीका है वह दूसरा हो गया है ।

हमारे यादव जी ने इस प्रस्ताव को रखते हुए बड़े ही सुन्दर भाषण में यह बताया है कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज क्या हैं और उन को दृष्टि में रखते हुए हम ने जो तीन योजनायें बनाई हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उन योजनाओं में और उद्देश्यों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी अपने सामने रखा कि हम आय की विषमता को दूर करना चाहते हैं, हम आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को कम करना चाहते हैं । तृतीय योजना में जहां हम ने यह कहा कि राष्ट्रीय आय में पांच प्रतिशत वृद्धि हो, खाद्यान्न में हम आत्म-निर्भर हों, हमारे आधारभूत उद्योगों का, जैसे स्टील है, उन का विस्तार हो, वहां साथ साथ हम ने यह भी कहा कि अन्तिम जो हमारा उद्देश्य है और जो सब से अधिक महत्वपूर्ण है, यानी आय की विषमता को दूर करने का, उसको हमें आंखों से ओझल नहीं करना है, उस को भी प्राप्त करना है । लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम कहते इस बात को तो जरूर हैं, इस बात को मानते

[श्री भागवत झा आज़ाद]

तो अवश्य हैं लेकिन इस पर आज तक हम ने अमल नहीं किया है । परिणामस्वरूप पिछले बारह पंद्रह वर्षों में जब से देश में योजनायें चली हैं और जिन योजनाओं से इस देश की जनता ने यह आशा की थी कि हमें ऐसी आर्थिक व्यवस्था मिलेगी जिस में राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो होगी लेकिन उस राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि का लाभ चन्द व्यक्तियों की आय में वृद्धि नहीं होगा बल्कि देश की जनसाधारण जनता की आय में वृद्धि होगा, उस में उन्हें निराशा ही हुई है । उस की यह आशा फलीभूत नहीं हुई । यह बात स्वयंसिद्ध है ।

अभी महलोनबीस कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज़ पर रखी गई है । उस की ओर इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उस में कहा गया है :

"The conclusions seem to justify that even after ten years of planning and despite fairly heavy scheme of taxation at the upper income, there is a considerable measure of concentration in urban incomes."

इस बात को जब हम वित्त मंत्री जी से कहा करते थे तो जवाब दिया जाता था कि चिन्ता डिस्ट्रिब्यूशन की नहीं की जानी चाहिये, पैदावार बढ़ाने पर ही जोर दिया जाना चाहिये । पैदावार बढ़ाओ, पैदावार बढ़ाओ यही वह कहा करते थे । एक बार जब माननीय ज्योतिषी जी ने कहा व्हाट एबाउट डिस्ट्रिब्यूशन तो उन का रिमार्क था :

"If you have got something in your pocket, give it to me and I shall distribute."

हिन्दुस्तान के वित्त मंत्री का अगर यही नमूना है, जब उन से डिस्ट्रिब्यूशन की मांग की जाय तो वह कहें कि तुम्हारी पाकेट में क्या है, तो यह इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, सरकार के लिए दुर्भाग्य की ही बात है । हम यह नहीं कहते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतों को ढहा दो । लेकिन जितनी इमारतें आप ने बनने दी हैं और जो बनती जा रही हैं, कम से कम अब इस देश में आर्थिक व्यवस्था तो ऐसी हो कि अतिरिक्त उत्पादन के साथ साथ वितरण की व्यवस्था भी ऐसी हो जिससे देश के हर लेवेल आफ सोसाइटी को, समाज के हर अंग को, समाज के हर स्तर के आदमी को उस का लाभ पहुंचे, जो साधारण आदमी भी है, उस की इनकम को बढ़ाने में वह सहायता दे ।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं होती है । मैं सरकारी पार्टी का एक सदस्य हूं, उस पार्टी का सदस्य हूं जिस के हाथ में आज देश के शासन की बागडोर है, जिस ने योजनायें बनाई हैं, जिसने देश के साथ प्रतिज्ञा की है कि हम आय की विषमता को दूर करना चाहते हैं, जिस ने जयपुर में और भुवनेश्वर में प्रस्ताव पास किये

श्री यशपाल सिंह : कंगाली बढ़ाई ।

श्री भागवत झा आज़ाद : आप जो बातें कहते हैं, उस को आप का पार्टी मानती नहीं है और अगर मसानी साहब यहां होते तो आप को शायद पार्टी से ही निकाल देते ।

प्रश्न यह है कि योजनाओं का इम्प्लेमेंटेशन इस प्रकार से हुआ है कि इस देश का जो धनिक वर्ग है और जिस के पास सम्पत्ति काफी है और जिस का साथ स्वतंत्र पार्टी वाले देते हैं या उन की तरह की दूसरी पार्टियां देती हैं, उसकी आय में जो बहुत अधिक

वृद्धि हुई है, उसको कैसे कम किया जाय और सर्वसाधारण की आय में किस तरह से वृद्धि की जाय। एक फर्म के, बिड़ला साहब की फर्म के देश के आजाद होने से पहले ऐसेट मान लीजिये ३३ करोड़ के थे तो आज उसी फर्म के ऐसेट कम से कम ३३३ करोड़ के हो गए हैं। यों तो चार हजार करोड़ हो गए होंगे लेकिन कम से कम ३३३ करोड़ तो अवश्य ही हो गए हैं। इस देश की राष्ट्रीय आय में चालीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि कहां पर हुई है, इस को आप देखें। राष्ट्रीय आय के चार सायेदार, रेंट, इंटिरेस्ट, प्राफिट और वेजिज होते हैं। रेंट में, इंटिरेस्ट में और वेज में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जो बड़ा सायेदार है, प्राफिट्स जो है, उस में साट प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस देश की राष्ट्रीय आय मे जिन लोगों ने अपना खून पसीना एक किया है, उन की आय मे वृद्धि नहीं हुई है। यह बात महलोनबीस कमेटी ने भी बताई है।

जहां तक उद्योगों का सवाल है, कल माननीय वित्त मंत्री जी ने एक नई इंस्टीट्यूशन बनाई है उद्योगों को सहायता देने के लिए डिवलेपमेंट बैंक की स्थापना की है। मैं उस की मुखालफत नहीं करता। लेकिन कृपा कर के इस बात को समझें हमारे वित्त मंत्री जी या उन जैसे मित्र, फैलो ट्रैवलर्ज, या कंजर्वेटिव मित्र हमारी पार्टी के, जिन को इस तरह की बातों को सुनने की हिम्मत नहीं होती है कि देश की आम जनता की हालत क्या है। जब यह हालत ध्यान की जाती है तो कहा जाता है कि ये कम्युनिस्ट हैं। अगर कम्युनिज्म की परिभाषा यह है, अगर समाजवाद की परिभाषा यह है कि इस देश को आम जनता को पांच आवश्यकतायें, भोजन की, कपड़े की, मकान की, स्वास्थ्य की और शिक्षा की, पूरी होनी चाहियें तो हम कम्युनिस्ट हैं और माननीय वित्त मंत्री जी जिस प्रेगमेटिक एप्रोच को सामने रख कर चलते हैं, उस को हम कभी मंजूर नहीं कर सकते हैं। जिस प्रेगमेटिक एप्रोच के अन्दर वह इस देश की आर्थिक नीति को ट्विस्ट देना चाहते हैं, जिस के अन्दर इक्विटी कैपिटल, फारेन कैपिटल के नाम से, 'तेज" और कौन कौन से अखबारों मे इंलैंड से आने लगे, तो उस को हम नहीं मानते हैं। जिस समाजवाद की श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कल्पना की और समाजवाद की जिस परिभाषा को देश की आम जनता समझती है और जिस में देश की आम जनता को जीवन यापन के लिये पांच चीजें मिलें, उस को हम मानते हैं। वे उस को मिलनी चाहियें। महलोनबीस कमेटी ने कहा है कि दस वर्ष के प्लानिंग के बाद भी १९५८ में इस देश में आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण बढ़ता गया है। उस का कहना है :—

"It is also evident that the working of the planned economy has contributed to this growth of big companies in Indian industry. This growth of the private sector in industry and especially of the big companies has been facilitated by the financial assistance rendered by public institutions, like, the Industrial Finance Corporation, the National Industrial Development Corporation, etc."

हम इस बात पर एतराज नहीं करते कि इन्हें सहायता न दी जाय। लेकिन पब्लिक इंस्टीट्यूशंज़ का यह भी कर्त्तव्य है कि इस देश की ८३ प्रतिशत जनता जो देहात में रहती है और जो देश की सम्पत्ति का ७३ प्रतिशत शेयर करती है, उसकी भी सहायता की जाय। उस के लिए भी डिवेलेपमेंट कारपोरेशन बनें, नई नई इंस्टीट्यूशंज बनें, रिजर्व बैंक के प्राफिट्स उद्योगों को, इंडस्ट्री को बढ़ाने में खर्च हों, लेकिन देश का जो सब से बड़ा उद्योग है, एग्रिकलचर, उस को भी आप बढ़ायें।। हमारा दुर्भाग्य

[श्री भागवत झा आज़ाद]

यह है कि इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है। फलस्वरूप आज इस देश में सम्पूर्ण सम्पत्ति की २३ प्रतिशत आमदनी जो है वह अर्बन सैक्टर यानी १७ प्रतिशत आदमियों के पास है जबकि देश की ७३ प्रतिशत आमदनी को इस देश की ८३ प्रतिशत जनता को जो देहात में रहती है, शेयर करना पड़ता है। ऐसा हृदय विदारक दृश्य सम्भवतः और किसी देश में नहीं होगा। आज हम को मोनोपली के लिये ला चाहिये। मैं समझता हूं कि शायद श्री के० डी० मालवीय ने श्री लिविस का नाम बतलाया था। उन्हों ने यह बात लिखी है, जोकि अमरीका के हैं, रूस के नहीं, जो कम्युनिस्ट नहीं हैं, जो लिबरल एकानमी में विश्वास करते हैं, उन्होंने कहा कि अगर सम्पूर्ण संसार में किसी भी देश को आज एन्टी मोनोपली ला की आवश्यकता है तो वह हिन्दुस्तान है। हमारे वित्त मंत्री जी ने मोनोपली कमिशन बनाया। मैं अर्थशास्त्र का एक छोटा सा विद्यार्थी हूं। मैं कहता हूं कि यह मोनोपली कमिशन यह साबित करेगा कि महालनोबिस रिपोर्ट न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाये। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं इस मोनोपली कमिशन में इस देश के इने गिने पब्लिक मेन को रक्खा गया। यह मोनोपली कमिशन आफिशल्स से भर दिया गया। इसलिए कि सरकार जैसे चाहे उन को डिक्टेट कर सके, इसलिये कि इस देश का सही रूप जनता के सामने न आ सके। मैं कहता हूं कि इस मोनोपली कमिशन के ऊपर हमें विश्वास नहीं रहा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार वास्तव में मोनोपली को कम करने की तरफ बढ़ना चाहती है तो महालोनोबिस कमेटी की रिपोर्ट जो है उस को वह कार्य रूप में लाये। उस पर अमल करने की शुरुआत करे। आज मोनोपली कमिशन की कोई आवश्यकता हम को नहीं है। आप चार वर्ष बाद उसे बनायें।

श्री ओंकार लाल बेरवा : (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदर, यह जो प्राइवेट बिल आया है मुझे तो ऐसी आशंका है कि शायद प्रस्तावक महोदय उस को वापस ले लेंगे क्योंकि उन की ताकत नहीं है कि वह इस हाउस के अन्दर इस को पास करवा लें। यहां पर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। पहली बात तो समाजवाद के बारे में है। समाजवाद समाजवाद कहने से काम नहीं चलेगा। हम ने भुवनेश्वर के अन्दर समाजवाद के बारे में प्रस्ताव पास किया। जयपुर में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहां भी यही कहा गया कि हम को समाजवाद लाना है। लेकिन समाजवाद किस तरह से लाना है। हमारी सरकार समाजवाद की बात करती है लेकिन खुद अंट शंट बातों में पैसा खर्च करती है।

एक माननीय सदस्य : अन्ट शन्ट क्या होता है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : ऊलूल जलूल के कामों में पैसा खर्च करती है। राजस्थान में अकाल पड़ रहा था। हजारों आदमी अकाल से ग्रस्त थे, हजारों जानवर मौत के मुंह में थे लेकिन हमारी सरकारी पार्टी कांग्रेस ३०,००,००० रु० इधर उधर के कामों में खर्च कर रही थी। क्या इसी का नाम समाजवाद है। पूर्वी पाकिस्तान से हमारे यहां शरणार्थी आ रहे थे, लूट मार मच रही थी, और उधर भुबनेश्वर में ६०,००,००० रु० खर्च कर दिया कांग्रेस के अधिवेशन में, क्या इसी का नाम समाजवाद है। इन रुपयों से क्या हमारी जनता का पालन नहीं हो सकता क्या इस से हम राजस्थान के अन्दर कुएं नहीं खोद सकते थे, क्या उस से राजस्थान की जनता को पानी नहीं मिल सकता था। मैं तो अमरीका को धन्यवाद देता हूं कि उस ने दूध के डिब्बे भेजे,घास भेजी,अनाज भेजा। अगर समाजवाद लाना हो सकता है तो इस तरह से हो सकता है।

केन्द्रीय सरकार कहती है राजस्थान सरकार से कि २८० कुएं खुदवाये जायें। राजस्थान सरकार कहती है कि पैसा नहीं है। केन्द्रीय सरकार कहती है कि रिंग ड्रिलिंग के जरिये से कुए खोदे जाने चाहियें। राजस्थान सरकार कहती है कि वह इस काम में नहीं लग सकती। क्या यही समाजवाद है। मैं कहना चाहता हूं कि यह समाजवाद नहीं है। हमें गरीब जनता को आगे बढ़ाने के लिये काम करने के लिये पैसा नहीं मिलता लेकिन इधर उधर के जो ब्लेकमार्केटिंग करने वाले हैं उन को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलता है। वे लोग हमेशा इसी बात के प्रयत्न में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से हमारा उल्लू सीधा हो, किस प्रकार से हम को पैसा मिले। किस तरह से मजदूरों की आड़ में वे मालामाल हो जायें।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे ऊपर ३० लाख रु० तक का कर्ज है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज हमारे ऊपर ८० हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। हम उसे चुकाने में समर्थ नहीं हो सके। इस तरह से कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इस देश में समाजवाद लाना चाहते हैं तो वह इस तरह से नहीं आ सकता। जब तक हम सच्चे हृदय से गरीब जनता को ऊंचा नहीं उठायेंगे, जब तक हम उन को भरपेट भोजन नहीं देंगे, गांवों में जब तक लघु उद्योगों को नहीं बढ़ायेंगे, जब तक खेती की तरक्की नहीं करेंगे, तब तक समाजवाद ला पाना मुश्किल है। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारा लक्ष्य समाजवाद की तरफ नहीं जा रहा है। वह बिड़ला, टाटा और डालमिया की तरफ जा रहा है जिन के आधार पर कांग्रेस जिन्दा है। अगर वे लोग कांग्रेस को चन्दे के रूप में पैसा न दें तो कांग्रेस का दीवाला बोल जाये।

एक माननीय सदस्य: आप क्या करते हैं।

श्री ओंकार लाल बेरवा : हम चना खा खा कर एलेक्शन लड़ते हैं और आप लोग हर एक फैसले टाटा बिड़ला और डालमिया के लाभ के लिये करते हैं। मैं एक उदाहरण देना हूं। जयपुर में एक बाल बेयरिंग की फैक्ट्री खुली थी। उस का उद्घाटन करने बिड़ला जी पहुंचे। उन्हों ने साफ शब्दों में कह दिया कि व्यापारियों, तुम किसी तरह की चिन्ता न करो। कांग्रेस तुम को खत्म करना चाहेगी तो भी मैं दावे से कहता हूं कि अगर हम सब व्यापारी एक हो जायेंगे तो कांग्रेस खुद खत्म हो जायेगी। यह क्या समाजवाद लाने का तरीका है। सेठ लोगों के पीछे चलने वाले और चुनावों में अंट शंट पैसा खर्च करने वाले जो हैं वे क्या वे समाजवाद ला सकते हैं। समाजवाद वह ला सकते हैं जो चने खा कर एलेक्शन लड़ता है, जो १०० रु० में एलेक्शन जीतता है। हजार और लाखों रुपये खर्च करने वाले समाजवाद नहीं ला सकते।

आज देश को स्वतन्त्र हुए सत्तरह साल हो गये। सत्तरह साल पहले जो ६५३ करोड़ रुपया हमारे यहां टैक्स था वह आज २४०० करोड़ हो गया है। पहले जब कि हमारे पास २०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा थी तब आज हमारे ऊपर उल्टे ७५,००० करोड़ रुपये का कर्ज हो गया है। यह समाजवाद का रास्ता नहीं है। समाजवाद तब तक नहीं हो सकता जब तक देश में सब जगह लघु उद्योग नहीं हो जाते, आज यह बेकारी दूर करने का रास्ता नहीं है कि देश में करोड़ों आदमी बेकार फिर रहे हैं। आज आप दिल्ली के बाजार में जा कर देख लें। वहां सड़कों पर प्लेटफार्म पर पड़े हुए लोग नजर आयेंगे। फुट पाथों पर अपनी गुजर करते हुए लोग नजर आयेंगे। क्या इसी का नाम समाजवाद है कि हमारे गांव वालों के खाने में कटौती करदी। उनको खाने को अन्न नहीं मिलता। राजस्थान में इतनी सहायता की कटौती कर दी गई है कि उन को पहनने के लिये कपड़ा नहीं मिलता, पीने के लिये पानी नहीं मिलता।

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

जानवर बेचारे पानी के बिना मर रहे हैं और तड़प रहे हैं। क्या इसी तरह से समाजवाद आयेगा कि एक भी कुंआं न खोदा जाये। आज इस हाउस में बातें होते तीन तीन महीने हो गये हैं, लेकिन एक भी कुंआं नहीं खोदा गया। कल परसों डा० सुशीला नैयर ने भी कहा था कि वे राजस्थान का दौरा कर के आई हैं और उन को अफसोस है कि राजस्थान को पैसा नहीं दिया गया। वहां के लिये कुछ नहीं किया गया। क्या इस तरह से समाजवाद आयेगा। कई बार कहा गया कि ऊपर वालों की तनख्वाह नीचे लाई जायेगी और नीचे वालों की तनख्वाह ऊपर ले जायी जायेगी। आज न जाने कितने दिन कर्मचारियों की तनख्वाहों पर विचार करते हो गये। काफी दिन उस पर विचार किया गया लेकिन तनख्वाह नहीं चलाई, जो बढ़ाई गई वह २ रुपया। क्या यही आप का समाजवाद है। जो बेचारे रात दिन काम करते हैं उन को तनख्वाह २ रुपया बढ़ाई जाती है। जब कि दिल्ली में मंहगाई ३५ परसेन्ट बढ़ गई है तब लोगों को वेतन २ परसेन्ट बढ़ाया जाता है। क्या इसी तरह से जनता आगे बढ़ेगी। मेरा निवेदन है अगर सच्चा समाजवाद लाना है तो गांवों मे लघु उद्योग खोले जायें। आज एक ट्रैक्टर चलता है तो उस के पीछे २५ आदमी बेकार होते हैं कहा जाता है कि मशीनों से जल्दी काम होता है। बिल्कुल जल्दी काम होता है। लेकिन साथ ही जनता की बेकारी सरकार बढ़ायेगी, जनता की भुखमरी बढ़ायेगी आज इतनी ज्यादा मंहगाई हो गई है लेकिन सरकार ने संकटकालीन स्थिति का हौवा खड़ा कर रखा है हमारे सामने। आज जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, सेठ साहूकार हैं, जिन की फैक्ट्रियां चलती हैं उन्हों ने इस हौवा को खड़ा कर के गरीब जनता को कुचल रक्खा है। अगर इस की तरफ हमारी सरकार का ध्यान नहीं गया तो देश में समाजवाद आना मुश्किल होगा। भले ही हम जिन्दगी भर इस तरह के नारे लगाते रहें, लेकिन मक्खन मक्खन कहने से ही काम नहीं चलेगा, मुंह का स्वाद तो तब अच्छा होगा जब मक्खन खाया जायेगा। इसलिये अगर समाजवाद को लाना है तो उस को सच्चे दिल से लाया जाये, वर्ना बातों से समाजवाद कभी आने वाला नहीं है।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बोलते हुए, मेरे मित्र जो अभी बोल चुके हैं उन के दिमाग में केवल कांग्रेस को और कांग्रेस गवर्नमेंट को कोसना ही रह गया है।

एक माननीय सदस्य : यह कांग्रेस की सरकार है इस लिये।

श्री द्वा० ना० तिवारी : प्रस्ताव के उद्देश्य को न समझ कर वे समझते हैं कि प्रस्ताव समाजवाद लाने के लिये है। मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव समाजवाद लाने के लिये नहीं है।

एक माननीय सदस्य : समाजवाद कौन लायेगा।

श्री द्वा० ना० तिवारी : कौन लायेगा यह बात अलग है। यह प्रस्ताव इसलिये आया है कि हमारे अन्दर जो विषमता है वह विषमता खत्म हो कर १:३० से अधिक की विषमता न रह जाये। इस पर हम को विचार करना है।

इस देश में विषमता का बोल बाला है। फिर विषमता एक ही तरह की नहीं है जिस से लोगों को तकलीफ होती है। रीजन रीजन में विषमता है, मनुष्य मनुष्य में विषमता है, आमदनी में विषमता है। दूर दृष्टि से देखें तो मालूम होगा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट की आमदनी कितनी कम है, एक स्टेट को कितने खुले रूप में सहायता दी जाती है और दूसरी स्टेट को कितना कम दिया जाता है। शहरी जीवन एक है और देहाती जीवन एक है। शहरी जीवन का स्तर एक तरफ चलता है और देहाती जीवन का

स्तर एक तरफ चलता है । शहर से दो तीन मील आगे देहात शुरू हो जाता है और वहां के लोग शहर के लोगों की सुविधाओं को देखते हैं तो उन के दिल में कलक होता है।

कुछ लोगों की राय है कि हमारी इकानामी प्रोडक्शन ओरिएंटेटड होनी चाहिए । हम ने बहुत से कारपोरेशन और ऋण देने वाली संस्थायें कायम की हैं। लेकिन वह ऋण किस को दिया जाता है। जो लोग कमाने वाले हैं, पैदा करने वाले हैं, अगर उन को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूं कि वह समय दूर नहीं है कि हमारा प्रोडक्शन ठप हो जाए क्योंकि अगर प्रोडक्शन करने वालों को उचित मुनाफा नहीं मिलेगा तो वे प्रोडक्शन करना बन्द कर सकते हैं। हम कुछ समय तक उन को बातों का भुलावा दे कर रख सकते हैं लेकिन जब तक हमारी इकानामी प्रोडक्शन आरिएंटेड के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन आरिएंटेड भी नहीं होगी तब तक हम देश मे ठीक स्थिति कायम नहीं कर सकेंगे। हो सकता है कि हमारे वित्त मंत्रालय के दिमाग मे ऐसा भ्रम हो कि हम वितरण की तरफ ध्यान न दें केवल प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दें तो काम चल सकता है। लेकिन ऐसा सम्भव नहीं है।

हमारे कुछ साथियों ने देश की गरीबी का दिग्दर्शन कराया। इस में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। आप ट्रेन में बैठ कर जायें और किसी जंक्शन स्टेशन पर कुछ खायें, तो आप देखेंगे कि कई लड़के आप को घेर लेते हैं और वह देखते रहते हैं कि आप के मुंह से कुछ गिर जाए या फेंके उस पत्ते में कुछ लगा रह जाए तो उसे ले कर खा लें। उन में कहीं भी मनष्यता नहीं रह गयी है। वे अपना पेट भरने के लिये किसी भी स्तर तक नीचे जाने को तैयार हैं। दूसरे का फेंका हुआ जूठा जो नीचे गिर गया है उस पर वे लड़के कुत्तों की तरह झपटते हैं। हमारे यहां की गरीबी का यह चित्र आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस स्थिति को किस प्रकार दूर किया जाए।

महालानोबिस कमेटी की रिपोर्ट के कुछ अंश अखबारों में निकले हैं और उन में बताया गया है जितने कारपोरेशन आदि लोगों को सहायता करने के लिये कायम किए गए हैं, उन से अधिकतर सहायता बड़े लोग ले लेते हैं और कुछ सहायता मध्यम श्रेणी के लोगों को भी मिल जाती है। हमारे यहां जो ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज हैं उनसे फायदा किसको होता है? उन को फायदा उन से नहीं होता जिन के पास कुछ नहीं है। उन से उन को ही कर्ज मिलता है जिन के पास कुछ है। जो लोग ऐसे हैं जो कर्ज ले कर अपना उद्योग खड़ा करना चाहते हैं पर जिन के पास सिक्योरिटी नहीं है उन को कर्जा नहीं दिया जाता, उन को सहायता नहीं मिलती।

गवर्नमेंट किसानों की सहायता करती है, लेकिन वह किस को मिलती है? मान लीजिये कि मुझे कुआं खोदने के लिये रुपया चाहिये। अगर उस में एक हजार रुपया लगेगा तो अगर मैं अपनी तरफ से पांच सौ का प्रबन्ध कर सकूं तो गवर्नमेंट मुझे सहायता करेगी। लेकिन जिस के पास आधा एकड़ या चौथाई एकड़ भूमि है, वह पांच सौ रुपया कहां से ला सकता है। और इसलिये उस को सहायता नहीं मिल सकती।

हमारी व्यवस्था ऐसी हो गयी है कि जो कुछ हम सहायता करना चाहते हैं वह उस के पास जाती है जिस के पास पहले से धन है और उन के पास नहीं जाती जो गरीब हैं और मजलूम हैं और जो बिना दूसरे की सहायता के अपने आप अपनी मदद नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को विचार करना चाहिये कि किस प्रकार इन लोगों को सहायता पहुंचाई जाए।

एक माननीय सदस्य : कब तक सरकार विचार करेगी?

श्री द्वा० ना० तिवारी : एक बात और आप के सामने रखना चाहता हूं । मुझे अफसोस है कि वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं और उप वित्त मंत्रिजी की शायद कोई पालिसी स्टेटमेंट न कर सकें और जो आलोचना हमारे मित्रों ने की है उस का जवाब शायद वे न दे सकें ।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : वित्त मंत्री महोदय ने मुझे इजाजत दी है कि कुछ जो सवाल उठाए जाएं उन का उत्तर मैं सरकार के सिद्धान्त के अनुसार दूं ।

एक माननीय सदस्य : इन को क्या पता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : हो सकता है कि माननीय सदस्य को मुझ से अधिक सरकार के सिद्धान्त के बारे में पता हो, लेकिन मैं सरकार के सिद्धान्त के बारे में सदन को बताऊंगी ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : तो मैं कह रहा था कि हिन्दुस्तान के लोगों को मदद करने के लिए जो संस्थाएं सरकार ने बनायी हैं उन से किन को लाभ मिलता है । अभी कंसेंट्रेशन आफ वेल्थ मालूम करने के लिये कमेटी बनायी गयी है । न मालूम उस की जांच का परिणाम कब आवेगा ? लेकिन लोगों में अविश्वास पैदा हो गया है और वे कहते हैं कि इस से कुछ होने को नहीं है । जैसा कि हमारे मित्र श्री भागवत झा आजाद ने बताया, आज लोगों को खास तौर से पांच चीजों की जरूरत है, खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य ।

श्री यशपाल सिंह : डिफेंस भी जरूरी है

श्री द्वा० ना० तिवारी : डिफेंस की जरूरत लोगों के लिए देश के लिए है । जो चीजें लोगों के लिये जरूरी होंगी मैं उन का ब्योरा दे रहा था । तो मैं कह रहा था कि लोगों की इन आवश्यक चीजों को मुहैया करने के लिये आप ने क्या किया है। कौन सी पालिसी आप की ऐसी है जिससे ये चीजें मुहैय्या हो सकें मैं कहता हूं कि आप बहुत देर न कीजिये। हम आज ज्वालामुखी के मुख पर बैठे हुए हैं। लोग यह नहीं समझेंगे कि आपने कितना त्याग और तपस्या की है जिस के फलस्वरूप आप आज गवर्नमेंट को चला रहे हैं । मेरे मित्र यशपाल सिंह ने श्लोक द्वारा उदाहरण दिया मैं भी एक दूसरा उदाहरण इसी तरह देना चाहता हूं कहा गया है ।

विभूक्षितम किं न करोति पापम् ।
दीणाजना: निष्करुणा भवन्ति ।

जो भूखा है वह कोई भी कदम उठा सकता है वह घर जला सकता है चोरी कर सकता है वह सब कर सकता है। हम लोग ऐसी स्थिति न आने दें कि गरीबों को यह रास्ता अख्तियार करना पड़े । मैं अपनी गवर्नमेंट से अनुरोध करूंगा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी लम्बी चौड़ी बातें छोड़कर ऐसे उपाय करे कि जिससे यह समस्या हल हो सके । मैं मानता हूं कि मंत्री जी कोई गोल मटोल जवाब दे देंगी लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है । कुछ ऐसा उपाय करें कि जिन से लोगों को जीवन के लिए आवश्यक चीजें मुहैय्या हो सकें, नहीं तो हमारा भविष्य अंधकार मय है और उस अंधकार में क्या हो जायेगा कुछ ठिकाना नहीं ।

Mr. Deputy-Speaker: How much time does the hon. Minister require for reply?

Shrimati Tarkeshwari Sinha: At least 20—25 minutes.

Mr. Deputy-Speaker: I will call the Minister at 4 O'clock.

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र जो प्राइवेट रेजोल्यूशन लाए हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है । इस के बारे में कुछ कहने के पहले मैं एक चीज की ओर आप

का ध्यान दिलाना चाहता हूं । एक गांव में एक थिएटर हो रहा था ; और उसमें एक साधु का पाट एक दुराचारी आदमी को दिया गया था । वह थिएटर दो तीन घंटे चला, लेकिन उस साधु के मुंह से सुन्दर शब्द सुनने के बावजूद भी लोगों के मन पर उस का अच्छा असर नहीं पड़ा क्योंकि लोग उस आदमी की बैकग्राउन्ड जानते थे कि उस का चरित्र कैसा है । मेरे कहने का कोई बुरा अर्थ न निकाला जाए । क्योंकि जब हम डिबेटिंग सोसायटी में डिबेट करते हैं तो कुछ उदाहरण देते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि इस सदन के सदस्यों में कितने हैं जो आज इस चीज को वास्तव में अनुभव करते हैं । डिबेट कुछ भी हो लेकिन दरअसल उसका असर क्या होता है हमें वह देखना चाहिए और इसलिए मैंने जो गांव में थिएटर किये जाने का अभी उदाहरण दिया उसमें मंत्री महोदय चाहें उससे सहमत हों या न हों लेकिन वह मेरी पर्सनल फ़ीलिंग है और वह किसी के खिलाफ़ नहीं है ।

२७ फरवरी को कामथ साहब का एक छोटा सा कटमोशन हाउस में आया था जोकि सेंट्रल ऐम्पलाईज और रेलवेमेंस के डियरनेंस एलाउंस को बढ़ाने के लिए था लेकिन उसको ट्रेजरी बेंचेंज ने वोट डाउन करके गिरा दिया । इसके विपरीत हमने देखा कि अभी कुछ ही दिन पहले इसी सदन में मंहगाई के कारण पार्लियामेंट के मेम्बर्स के वेतन और भत्ते को लेकर बहस हुई और उसको इस सदन में डेढ़ घंटे के भीतर ही पास कर दिया । पार्लियामेंट के मेम्बर्स का वेतन ४०० रु० से ५०० रु० और दैनिक भत्ता २१ से ३१ रु० हो गया जब कि नीचे के वर्ग केवल मजदूर को सिर्फ २ रु० मंहगाई भत्ता दिया गया । मैं महसूस करता हूं कि इस विधेयक का उस कटमोशन से भिन्न नहीं होने वाला है । आर्थिक असमानता और भंयकर ग़रीबी की सदन में वैसे आलोचना तो खूब की जायेगी लेकिन आखिर में प्रस्तावक द्वारा अपना यह प्रस्ताव वापिस ले लिया जायगा । मंत्री महोदय के यह कहने पर कि इस बारे में देखा जायगा, सोचा जायगा, प्रस्तावक महोदय कह देंगे "आई बांट टु विदड्रा दी बिल" वह बिल विदड्रा हो जायगा ।

मैं बिहार के एक बहुत ही अविकसित और पिछड़े हुए जिले पूर्निया से आता हूं । मेरे वहां भंयकर ग़रीबी विद्यमान है । मेरे वहां आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग साल के अन्दर तीन महीने केवल जंगल की जड़ी, बूटी खा कर जिंदगी व्यतीत करते हैं । हमारे गांवों की ऐसी शोचनीय अवस्था हो रही है । लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है । सरकार को बखूबी पता है कि चावल के दाम कितने हैं, गेहूं के दाम कितने हैं, कपड़े के दाम कितने हैं और पढ़ाई लिखाई में कितना खर्च बैठता है, दवादारू आदि में कितना खर्च बैठता है, छोटा सा झोंपड़ा बनाने में या एक छोटा सा कमरा भी किराये पर लेने में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, यह तमाम बातें जानने के बावजूद भी यह सरकार जोकि ऐम्पलायर है वह अपने मुलाजिमों को क्या देती है ? कहीं वह ४५ रुपये मुलाजिम को देती है, कहीं ५० रुपये देती है, कहीं उनको ५५ रुपये देती है तो कहीं ६० रुपये देती है । अब यह कौन नहीं जानता है कि आज मंहगाई के युग में उस व्यक्ति को जिसको कि ५० या ६० रुपये मिलते हैं उसको शीत निवारण और लज्जा निवारण के लिए कपड़ा चाहिए, पेट की अग्नि को शांत करने और सम्हालने के लिए चावल दाल और आटा चाहिए, बच्चों की दवा करानी पड़ती है, शिक्षा की व्यवस्था करनी होती है और मकान के लिए भी उसे खर्च करना पड़ता है । आज ५०–६० रुपये में यह सब चीजों का इंतजाम वह कर नहीं सकता है । जिस सरकार के ऐम्पलाईज की ऐसी हालत हो वह सरकार किस तरह से आइडिएल एम्पलायर कहलाने की हक़दार हो सकती है ? मैं नहीं समझता कि सरकार के मौजूदा रवैये और दृष्टकोण

[श्री प्रिय गुप्त]

के रहते वह हम लोगों को इस बारे में सलाह मशविरा करने को क्यों बुलाया करती है

15.33 hrs.

[DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

लेबर कंसलटेटिव कमेटी में एक दिन हम बैठे थे। वहां पर यह चर्चा हो रही थी कि दरअसल प्राइस इंडैक्स कितना बढ़ा है और इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होना चाहिए और इस बारे में किस तरीके से गांव गांव में जाकर पता लगाना चाहिए। उस कमेटी में एम० पीज़ लोग बैठे थे। लेबर कंसलटेटिव कमेटी में लेबर मंत्री उसके चेयरमैन होते थे, डिप्टी मिनिस्टर थे, लेबर सेक्रेटरी थे, लेबर कमिश्नर्स यह सब लोग थे। जब मेरा टर्न वहां पर आया तो मैंने कहा कि संजीवैया साहब आप लेबर मिनिस्टर हैं, बाज़ार में ज़रूरी चीज़ों के दाम कितने बढ़े हैं इन के आंकड़े आप यहां क्यों देख रहे हैं और बहस कर रहे हैं, आप अगर उनकी असली हालत देखना चाहते हैं तो हवाईजहाज में बैठ कर सारे देश के अन्दर किसी भी सरकारी मुलाजिम के घर को इस जांच के लिए आप चुन लें और तब आपको पता चल जायेगा कि आज सरकारी कर्मचारी किस बुरे हालत में रह रहे हैं। Whichever place you feel is the cheapest place, उसको आप ले लें। You pick up one family. एक चौथी श्रेणी के नौकरी करने वाले परिवार को ले लीजिये। जैसा कि अंग्रेज लोग कहा करते थे आप उसके मां, बाप को छोड़ भी दीजिये, केवल वह, उसकी पत्नी और बच्चों को ले लीजिये। उस चौथे वर्ग के परिवार के लिए आप एक महीने की ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें ख़रीद दीजिये। चावल, दाल, आटा, थोड़ा सा कपड़ा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, किताबें, दवादारू और मकान किराया इन सब चीजों की व्यवस्था और भुगतान आप स्वयं एक महीना अपने हाथ से कर दें। दाएं हाथ में उसके ज़रूरी खर्चे का हिसाब रखिये और बाएं हाथ में उसकी वह तनख्वाह आप रखिये। अब अगर उसका खर्च उसकी तनख्वाह से ज्यादा बैठता हो तो उतना ही डियरनैस एलाउंस आप उसका बढ़ा दीजिये लेकिन अगर तनख्वाह खर्चसे ज्यादा रहती हो तो उतनी तनख्वाह में आप कटौती कर लीजिये।

This is the actual approach for the statistics to be obtained in respect of the increase in the cost of living.

जो तरीका अभी आप इसको जानने का बर्त रहे हैं वह हमें पसन्द नहीं है और न ही वह सही तरीका इसको जानने का है। मेरा ऐसा कहने पर वह चुप होकर रह गये। मैंने श्री संजीवैया से यह भी कहा कि क्या वह इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि आपके लेबरर्स, आपके क्लास ४ के कर्मचारी कम से कम मही हर महीने ५ रुपये से लेकर १० रुपये तक कर्जा लेते हैं? क्या उन्हें पता नहीं है कि उनके क्लास ३ के कर्मचारी १५ रुपये से लेकर ५० रुपये तक हर महीने कर्ज लेते हैं और इस तरह से जब वह कर्जा जमता जाता है और काफी बढ़ जाता है तो उसे प्राविडेंट फंड से लोन लेकर या फिर काबुली पठान रूपी बैंक से भारी ब्याज पर पैसा लेकर वह कर्जा चुकाते हैं और परिणामस्वरूप दिन पर दिन वह उस कर्ज के दलदल में गहरे फंसते जाते हैं। आज गांवों की हालत दर्दनाक है। गरीबी और भुखमरी नंगा नाच नाच रही है और आप कहते हैं कि नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है। यह पैसा आखिर जाता कहां है। इस इनकम का ग़लत और डिफैक्टिव डिस्ट्रिब्यूशन है और यह उसी तरह से है कि एक काश्तकार सुबह उठ कर घरसे जाने के पहले अपने चार बच्चों के लिए चार रोटी रख गया और खेत को चला गया। अब उन चार बच्चों में दो बच्चे जो कि बदमाश थे उन्होंने बजाय एक, एक रोटी खाने के दो, दो रोटियां खा गये और बाकी दोनों बच्चे उनकी बदमाशी के कारण भूखे रह गये।

इसी तरह आपका यह वैल्थ का डिस्ट्रि-ब्यूशन है । आप इसको ठीक करने के लिए कमेटी जरूर रक्खें जो कि यह देखे :—

"to review the progress made towards the reduction of disparity between the lowest and highest income to the order of 1:30 over the next two or three Plan periods."

यह रेजोल्यूशन जो माननीय सदस्य लाये हैं वह सही लाये हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह पास तो होना नहीं है और उसको तो वापिस ही होना है । जरूरत तो इस बात की है कि सरकार अपनी मौजूदा आर्थिक पालिसी को बदले और फाइनैंस मिनिस्टर जो कि तबदील हुए और उनकी जगह दूसरे मंत्री बने और उन्होंने फाइनैंस का काम सम्हाला है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है । बस इतना ही है कि the slant of the Birla group has to be replaced by the slant of the other groups of business magnates. इस तरह से फाइनैंस की व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है । फाइनैंस मिनिस्टर होने के नाते उनको यह भी तो देखना है कि टैक्सेज लगाये जाते हैं इतना रुपया इकट्ठा हो जाता है तो आखिर इस रुपये का डिस्ट्रिब्यूशन कहां होता है । अगर इसी तरह से गलत व्यवस्था जारी रही तो गरीब आदमी बच नहीं पायेंगे । रास्ते में ही सब पैसा खत्म हो जायेगा और उस गरीब तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आने वाली है जब कि उस पर टैक्सों की अत्यधिक भरमार होती है और उसकी कमर बिलकुल टूट गई है । सभानेत्री महोदया, मैं आपकी मार्फत गवर्नमेंट के कान तक यह आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार केवल १०–१५ फी सदी बड़े बड़े लोगों के हित को ही नहीं देखे और उसे ७५ फी सदी तबके के साथ जिनमें कि वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी हालत को बेहतर बनाने और उन्हें आज के संकट काल में कुछ राहत पहुंचाने की व्यवस्था करे .....

एक माननीय सदस्य : आप हमेशा मिल कर्मचारियों की ही बातें करते हैं, म्युनिसिपल वर्कर्स के लिए भी तो कहिये ।

श्री प्रिय गुप्त : ठीक याद दिलाया । म्युनिसिपल वर्कर्स, गांव वालों को खेतिहर मजदूरों को राहत पहुंचाने का सरकार इंतजाम करे । अगर सरकार अब भी नहीं जागती है और अपना वही पुराना उपेक्षा का रवैय्या जारी रखती है तो भले ही हम यूनियंस वालों को खींच कर इंडस्ट्रियल फील्ड में रैस्ट्रेंट रखने के लिए कहें, गड़बड़ न होने देने के लिए जोर दें लेकिन यह चैक और रैस्ट्रेंट ज्यादा दिन तक नहीं चल पायेगा और वह दिन दूर नहीं है जब कि यह जनता दियासलाई उठा कर उससे इस सरकार को फूंक देगी । बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता था ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I rise to support the resolution moved by my hon. friend Shri B. P. Yadav and I congratulate him on bringing this resolution before the House.

When we discuss this resolution and support the demand that the disparities in the income groups should be brought down to at least 1:30, I have in my mind the demand of the socialists or those who claim to be socialists that it should not be more than 1:10, but I hope that this Government would accept this principle that it should not be more than 1:30.

We have some statistics to show that the daily income of a particular group of the Birlas is Rs. 1,85,000 to Rs. 2,80,000, whereas 27 crores in this country are only getting 7½ annas per day according to the Planning Minister, 15 annas according to the Prime Minister and three annas according to my hon. friend Dr. Lohia. I would also request the Minister to see the latest report of the Reserve Bank regarding rural indebtedness. What did it reveal? It revealed that rural in-

[Shri S. M. Banerjee]

debtedness had risen from Rs. 1,500 crores to nearly Rs. 3 000 crores. This is the condition of the country as far as peasants are concerned.

Let me say something about the Government employees also. Much has been said about the need for giving them dearness allowance and so on. I have in my possession figures which will show the condition of the Central Government employees. Forty-five thousand are getting Rs. 250 and above; 246,000 are getting more than Rs. 100 but less than Rs. 250 and 15,37,000 are getting Rs. 100 and less. You can imagine the condition of the Central Government employees who are supposed to be a privileged class getting more than what the State Government employees or the Corporation employees get. If the Central Government employees demand increase in D.A. they are asked to look towards the horrible condition of the State Government employees. If the State Government employees want a wage increase, they are asked to look at the Corporation employees. If the Corporation employees demand a wage increase, they are asked to look at the poor unemployed persons registered in the employment exchange registers. This is how Government want to satisfy all by pitting one against the other.

The Mahalanobis Committe report has given something revealing. Again the whole question is being referred to a monopolies commission as if it is not known still that there is growth of monopolies in this country and there is concentration of wealth. Whenever a question is put to the Prime Minister he says, there has been some uneven distribution of wealth in this country. And we want to know to what extent the national income has gone into pockets of those handful of people who want to control the economy of this country. The Mahalanobis Committee report is available now. One inspector was appointed. This is the height of joke in this country. After the Vivian Bose Commission's report, nine years were wasted. Rs. 27 lakhs were spent on the Commission against the Dalmia-Jain group. Again another inspector has been asked to investigate into the whole thing. What are the salary and allowances of this inspector? Yesterday I put an unstarred question (a) whether it is a fact that the Inspector who is investigating into the affairs of some of the Dalmia-Jain concerns is being paid Rs. 180 per day; (b) if so, the reasons for paying this fabulous amount; and (c) whether he is of the rank of a Secretary. The reply was:

"(a) The Inspector has been allowed a remuneration of Rs. 3500 P.M. In addition, he has been sanctioned daily allowance as under:

(i) On actual basis for room rent, inclusive of any service charge, subject to a ceiling of Rs. 150 per day for Bombay and Calcutta and Rs. 100 per day for any other place.

(ii) A flat rate of Rs. 30 to cover all other charges including boarding expenses, tips, etc."

You can imagine whether this inspector, a person who was almost unemployed and who has got a job at Rs. 3500 P.M. plus Rs. 180 per day, will ever submit any report about the Dalmia-Jain concerns. This is the height of joke in this country.

This is a very innocuous resolution and I must say there must be no hesitation on the part of Government to accept this resolution. Let a committee be appointed under an able economic expert like Shri R. K. Hazari. He submitted a report about the Birla-Jain group and other

houses. I am sure that this resolution will be accepted by this House.

A clear case was brought to my notice the other day. I was told that during the Chinese aggression, more than 3,52,000 pressure cookers were needed for those fighting at high altitude. Who was given this order? The son of a Cabinet Minister was given this order without any tender in December, 1962. Without asking for any tender, he was straightway given this order. I do not want to mention the name of the Minister, because again there will be some statement that Mr. Banerjee wants to make an insinuation. When pressure cookers were available in this country at Rs. 85 or Rs. 90—prestige cooker is one of the best cookers—why was this order placed at a rate of Rs. 110 or Rs. 120 per cooker? If these things are going on, I do not know; anything will happen in this country. We cannot dream of socialism. It would be a mockery and a sad commentary on our socialism. The Bhubaneswar thesis will be reduced to nothing but mockery.

I am sure the hon. Deputy Finance Minister would at least accept this in principle, so that the mover of the resolution and the country may have the satisfaction that this is being acknowledged.

Shri Muthiah (Tirunelveli): Madam Chairman, I support the resolution moved by Shri Yadava. It is in keeping with the socialist policy of our Government and the Congress Party. Only recently, in January, 1964, the Congress Party in the Bhubaneswar session, unanimously passed a resolution on democratic socialism. The cardinal principle of democratic sociasm is the creation of an equalitarian society based on social justice and on political, social and economic equality for all citizens. Our Constitution emphasises equality in its very Preamble, which speaks of economic, social and political justice and equality of status and opportunity.

The Directive Principles of the Constitution embody socialistic and equalitarian principles. Article 38 says:

"The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may, a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life."

Article 39 says:

"The State shall in particular direct its policy towards securing—

(a) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good;

(b) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment."

The aim of the first Plan was to ensure a rising national income and a steady improvement in the living standards of the people. The main objective of the second Plan was reduction of inequalities in income and wealth and fixing maximum limits of holding of land and wealth.

The Planning Commission's recommendations in this connection are worth mentioning: (1) The maximum limits for land holdings should be prescribed. This limit should be three times the holding which an ordinary farmer can plough. (2) The prescribing of a ceiling on maximum earning should be considered. After deducting all taxes, the difference between the minimum and maximum earnings should not be more than 30

[Shri Muthiah]

times. (3) Through estate duty, gifts tax, profits tax and wealth tax, the difference between rich and poor people should be reduced. Our Prime Minister commending the Second Plan said:

> "We are all agreed on our policy of establishing a socialist pattern of society and we shall make all our efforts in that direction."

Coming to the third Plan, its objective is to bring about a reduction of inequalities in incomes and wealth and a more even distriution of economic power. The policy of socialism and equitable distribution of wealth and income was approved by this Parliament in 1954. It declared that the broad objective of economic policy should be to achieve the socialist pattern of society. Parliament approved that the basic criterion in determining social policies and the lines of economic advance should be not private profit, not the interest of a few, but the good of the community as a whole. The basis of a socialist pattern of society is increased production and equitable distribution of the goods so produced. Production and distribution are equally important and they should not be viewed separately.

The Mahalanobis Committee in its report says that the economic growth of the country, and the industrial and commercial development in the last ten years have made the rich richer and the poor, poorer or remain on the same level as before, and monopolies have increased in industry and business. It is to study, assess and to reduce this concentration of economic power that just now the Monopolies Commission has been established under the chairmanship of a Judge of the Supreme Court, Shri Das Gupta.

I just want to quote a few words of Mahatma Gandhi in this connection. Mahatma Gandhi said:

> "I shall work for an India in which there shall be no high class and no low class of people."

He further said:

> "Whoever has a surplus of essential things which are denied to the poor and who does not give that surplus to them is a thief in the eyes of society."

Lastly, I want to mention the various fiscal measures such as Estate Duty, Wealth-tax, Gift-tax, Capital Gains Tax passed by the Parliament recently. These fiscal measures and the ceiling Acts and Fair Price Acts passed by the various State Governments are steps in the direction of socialism, in the direction of equitable distribution of wealth and power.

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad): It is really an essential and urgent factor in the social life which we are pledged to build up, namely, democratic socialism, where we have to make an assessment of these elements which form the base of our productive system thereby enriching the community at large. The resolution has given an indication as to how we should try to narrow the disparity which today obtains in our country.

I am reminded of a picture revealed to me in my own constituency. There I found the immensely rich people parading their wealth and prosperity. On the other hand, I found how the ill-paid workmen were huddled together in the narrow confines of their rooms which they call by the technical name *Dhowara*. When one finds in the midst of this plenty, in the midst of immeasurable richness how poverty, colossal destitution is allowed to remain, naturally, one is prompted to see avenues as how to reorientate the society and see that the productive apparatus is readjusted in a form where the largest number of people get the equitable share in the production.

In the rural areas, the question of ceiling was a moot point. Undoubtedly, it was a relief, but it came too late. The expectation that was raised in the mind of the landless people that they would have some land when the ceiling was imposed did not materialise. Before the ceiling was imposed, before the legal enactments were introduced, lands were distributed in such a way that ultimately only a meagre quantity of land was left for distribution. The result was that the landless people of India remained as helpless and poor as they were.

In this very city I found that lands were purchased at Rs. 5 per square yard, and after development, were sold at Rs. 65, Rs. 75, Rs. 100 and even Rs. 150 per square yard. This unearned income is a form of acquisition of wealth to a particular section of very intelligent people who can anticipate chances of earning profits and proceed in a way which brings them volume of unearned income which naturally results in the destitution of the poor.

In this way, Madam, the agents of production are allowed to operate in the different sectors of the society. In the process of our industrialisation of the Country, we find that a particular sector is allowed to have the control over the agents of production. Those people who had been expecting some share in the management, who were expecting to have participation in the management of industries and other undertakings, are still denied the privileges of having a say in the management process because of the vested interests that control industrial growth.

Therefore, the expectaitons which have been all along put forward in the minds of the people, we seldom find them realised in reality. If we want to move a resolution of this type today, we only want to make an assessment of the stark realities of life, the facts of life which are revealed in the process of growth, in the process of development of the country starting from 1947.

Madam, two Five Year Plans have already finished and the Third Five Year Plan is in its mid term. We took the vow of raising the wealth of India. Indeed, the national wealth has been raised to the extent of 42 per cent. But who are the recipients? Four years earlier, when this question was raised, the leader of the House said that the Government were going to appoint a committee. That committee worked for four years and today the report is before us. What does it portray? How far does it go to give us satisfaction of the urges and assurances which had been exercising our minds so long? Madam, the picture is dismal. After four years of analysis, we find a picture which gives us hardly any satisfaction in regard to what we wanted to realise. We have not realised what we wanted. Therefore, it is but meet that we have to make a realistic study of the objective factors, not only psychic but objective factors, that influence the growth of the society where destitution is allowed to grow in an alarming way with the accumulation of wealth credited to a particular sector of the society, that is always conditioned by the motive of acquisitiveness and profit.

Therefore, a country which is pledged to democratic socialism, a country which has taken the vow of going forward towards the attainment of a particular objective, namely, the distribution of wealth to the producers, to the prime producers equitably, has to take up this work in all earnestness. There the question comes, how far and whither we go. In the context of the picture that has been presented by the report of the Mahalanobis Committee, I would endorse this resolution and suggest that we have to set up a small committee including Members of Parliament, so that we can find out exactly how far we can carry out the objectives which we have placed before us and the country.

Madam, I endorse the resolution.

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : हमारे मित्र यादव जी ने जो विधेयक इस सदन में रखा है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं । मैं चाहता यह था कि इस प्रकार का कोई विधेयक सरकार की तरफ से आता तो अच्छा रहता । इसका कारण यह है कि पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि कोई भी अच्छा प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी माननीय सदस्य की तरफ से अगर रखा जाता है तो सरकार उसको स्वीकार करने में संकोच करती है, उसको मानने में आनाकानी करती है ।

मेरे मित्रों ने बहुत से सुझाव आपके सामने रखे हैं । आर्थिक विषमता के सम्बन्ध में मैं भी अपनी तरफसे कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं । मैं राजस्थान से आता हूं । मेरे मित्रों ने जो बातें बताई हैं, वैसे तो मैं समझता हूं वे काफी हैं और उससे अधिक कुछ और बतलाने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन अपने प्रदेश की स्थिति से मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूं । मैं सीमावर्ती प्रदेश से आता हूं । बीकानेर, जैसलमेर, बाडमेर आदि स्थान राजस्थान के ऐसे हैं कि वहां चार चार दिन तक लोगों को खाना नसीब नहीं होता । यह कितने शर्म की बात है । भारत को किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था । लेकिन आज हमारे देश की यह हालत हो गई है कि लोगों को चार चार दिन तक खाने को कुछ नहीं मिलता है । पीने को पानी तक उनको नहीं मिलता है और पहनने को कपड़ा नहीं मिलता है । यह कितने शर्म की बात है ।

16.00 hrs.

सवाल यह है कि जो आर्थिक विषमता है उसको कैसे दूर किया जाए । स्वास्थ्य मंत्राणी सुशीला नायर जी ने पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए कई करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को दिया लेकिन राजस्थान सरकार उस रुपये का अवधि के भीतर भीतर इस्तेमाल नहीं कर सकी, कुएं नहीं बनवा सकी । लोगों को रहने के लिए झोंपड़ा जो चाहिए वह भी आज तक सरकार नहीं दे सकी है । । उनके ऊपर छप्पर का प्रबन्ध नहीं कर सकी है । लद्दाख और नेफा में हमारे जो जवान काम करते हैं, उनका कभी कभी हमारे दोस्त जिक्र कर दिया करते हैं । उनको क्या मिलता है, उनकी क्या दशा है, इसका जिक्र कर दिया करते हैं । समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं कि वहां घड़ों का पानी सर्दियों में बर्फ बन जाता है । फाउनटेनपेन के अन्दर स्याही बर्फ बन जाती है । लेकिन राजस्थान की एक अलग स्थिति है । वहां मई, जून और जलाई में आप देखेंगे कि मनुष्य का कंठ तक सूख जाता है । घड़ों का पानी सूख जाता है । इस गर्मी के अन्दर तिलमिलाते हुए लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं । अब तो वहां पर स्थिति कुछ ठीक हो गई है नहीं तो यह कहा जाता था कि वहां पर मनुष्य केवल तीन स्नान करते हैं । एक तो उसका जन्म होता है तो दाई मां स्नान कराती है, एक जब शादी होती है तब स्नान करता था और एक जब वह मरता था तब स्नान करता था जबकि उसका दाह संस्कार होता था । वहां पर इस तरह की स्थिति थी । अब भी वहां की हालत यह है कि पीने को पानी नहीं मिलता । मैं यह सिर्फ राजस्थान के लिये कहता होऊं ऐसा नहीं है । सारे मुल्क के अन्दर काफी विषमता है । चन्द लोगों ने, मुट्ठी भर पूंजीपतियों ने उद्योगों पर कब्जा कर रखा है । सरकार के ऊपर भी पूंजीपतियों का असर है । जो समाजवाद हम चाहते है वह नहीं आ सकता, इसलिये कि हमारी सरकार की नीतियों में कथनी और करनी में अन्तर है । आपने समाजवादी सिद्धान्त को अपनाया लेकिन जो हमारी अर्थ व्यवस्था है अगर वह समाजवादी नहीं होगी तो कैसे

समाजवाद आयेगा। हमारे देश की पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था है। हम बार बार कहते हैं कि हमने इस मूलभूत सिद्धान्त को अपना कर रखा है तो फिर हम को अपनी अर्थ व्यवस्था को बदलना चाहिये।

हमारी मंत्रिणी जी यहां हैं; अगर वित्त मन्त्री यहां होते और हमारे मित्रों ने जो भाषण दिये उनको सुनते तो उनको पता होता। जब पत्रों में वे इस प्रकार की बातों को पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि क्या यह सही बात है। मैं कलकत्ते गया था। जब ट्रेन के ऊपर हम लोग जाते हैं और खाना खाने के लिये बैठते हैं तो इतनी संख्या में भिखमंगे आ जाते हैं और छीना झपटी करते हैं जिसका ठिकाना नहीं है। बिहार में बहुत ज्यादा गरीबी है। और जगहों पर भी यही हालत है। हमारे मुल्क में ८० या ६० फी सदी लोग गरीब हैं और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत करते हैं दूसरी तरफ बाकी लोग उनके ऊपर आराम करते हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि एक आदमी पांच पांच पैकेट गोल्ड फ्लैक के फूंक देता है और दूसरी तरफ एक आदमी को पांच दाने भी खाने को नहीं मिलते हैं। एक आदमी खूब साबुन, लिपस्टिक आदि का इस्तेमाल करता है, काफी वगैरह में इतने खर्च कर देता है और दूसरे आदमी को खाने को भी नहीं मिलता है। इन सारी चीजों पर बड़ी गम्भीरता से सोचना चाहिये। मेरा सुझाव है कि अच्छे और अनुभवी आदमियों को ले कर, जिनके दिल म दर्द हो, एक कमेटी बनाई जाये जो पूरे मुल्क का दौरा करे। चाहे वह ट्रेनों में जाये, चाहे वह पर्वतीय एरिया में जाये, चाहे रूरल एरिया में जाये चाहे शहरों में जाये, लेकिन सारी चीजों का अध्ययन करके उन पर सोच विचार करे।

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को इस प्रस्ताव को मान लेना चाहिये। लेकिन अगर वह इस को मान न सके तो कोई ऐसा आश्वासन दे कि जल्दी से जल्दी वह कदम उठाने जा रही है, नहीं तो वह दिन दूर नहीं है जब लोग खुद कांग्रेस के खिलाफ बगावत करेंगे। वह नहीं करेंगे तो हम करेंगे, चाहे हम को कांग्रेस को छोड़ना ही पड़ जाये, लेकिन इस तरह की चीजें ज्यादा दिन चलने वाली नहीं हैं।

Shrimati Tarkeshwari Sinha: Mr. Chairman, I appreciate the concern of the hon. Members which they voiced on the floor of the House—not very complimentary to me, of course—that probably they would have wanted the hon. Finance Minister to be here. The hon. Finance Minister would have been here, had he not some very important work outside the House. Therefore, through you, Mr. Chairman, I would submit to the House to show me this little indulgence.

I would also like to assure this House that I would try my best to answer some of the points. it is a fact that I am not in a position to take a decision on a policy matter—my senior colleague has to take it—but I have been instructed by my senior colleague, the Finance Minister, to espouse the Government's policy. Within that policy I would try to meet some of the points which have been raised by hon. Members.

This is one of the very serious debates which has brought almost all the sections of the House together. What does it show? It shows that in this country there has been a genuine concern about the poverty of the people. There cannot be two voices so far as the poverty of this country is concerned. Everybody is concerned about this poverty. Therefore, I think, hon. Members should not doubt the *bona fides* of the Government, that the Government is not concerned about the poverty of the people.

[Shrimati Tarkeshwari Sinha]

The government which does not concern itself with the economic condition of the people has no right to exist and if the government exists by virtue of majority support of the people, that government has to ventilate the public conscience represented in the problems facing this country, namely, the problems of poverty, ignorance and backwardness.

One of the leading statesmen said very rightly that for every dignified individual in this world there are four criteria and inspirations for existence. Human life is not human life if it does not get food, family relationship, freedom and friendship. That is what has been described as the basic inspiration of human existence. Nobody can doubt it. Human life, in order to grow and be dignified, requires these things. It is also a fact that in our country the poverty and the miseries of the people have not allowed them to have a dignified human existence.

I do not at all doubt the sincerity and the concern expressed in the House. My concern is the same as of the other hon. Members of the House, but the only point is whether by forming this committee we can fulfil the concern that we have expressed in the House in so many words. The appoinment of a committee is not a new demand. The demand was first made by the hon. Member, Shri Bibhuti Mishra, who is still in the House, in 1956. In that very Resolution—the House, of course, adopted a modified Resolution—the House accepted the basic philosophy underlying this. I would like to quote the words of the Resolution which was accepted by the House. It reads thus:—

> "The House recommends to the Government to take appropriate measures to reduce the disparity in income prevailing between the different sections of society in the country."

After that Resolution, some other Resolutions, were also discussed in this House. Hon. Members have already quoted the remarks of the Committee, called the Mahalanobis Committee. It took quite a substantial time in going through this problem.

Shri D. N. Tiwary: Can you tell us what steps were taken after the passing of that Resolution?

Shrimati Tarkeshwari Sinha: I would, if the hon. Member would bear with me.

The Mahalanobis Committee was appointed primarily in order to go into this question, namely, what has been the distributive pattern of this income, how the income which has been generated in this country has flowed into various healthy economic channels. But only the noblest of intentions do not produce results! We have to understand that there were basic difficulties involved in the whole analysis of the problem—the difficulties of not having proper data and material at their disposal to arrive at definite conclusions, very far-reaching conclusions. When they have not been able to arrive at very definite conclusions supported by specific data, it was really difficult for the Mahalanobis Committee itself to bring out certain arguments supporting the way in which this inequality could be reduced. There is no question of having any different opinion so far as the inequality is concerned. There is inequality in incomes in this country. The Prime Minister himself remarked that in this country people live in rags, sleep on the footpath and do not have two square meals for days together. There is inequality. But how really to curb that inequality, and how to remedy this problem is really, what is called, the crux of the problem. This Committee itself has come to some of these conclusions after quite a long time and after a lot of study. It took them four years. This Committee was appointed in 1960 and the report has come before

the Parliament only now in 1964. It was placed before the Parliament only yesterday. The Committee submitted Part I of its report to the Government on 25th February, 1964. The very fact that the Committee has taken such a long time to give even an analysis of the situation shows how difficult is the problem. Madam, you will agree with me and the House will also agree with me that half-baked conclusions on such important aspects of the nation's economy and the nation's life will not solve the problem. Half-baked conclusions would be much more dangerous than no conclusions at all. In Hindustani, there is a saying नीम हकीम खतराए जान that is, a person who is not qualified enough to practise medicine can be a very dangerous person to prescribe medicine. That is exactly what I want to say without really taking away the seriousness of the problem. Only by forming a committee we cannot solve this problem. Already, the conclusions of this Committee are before us. They have indicated certain remarks, which are very serious, that the inequality has grown because the distribution of income has gone to certain channels which are socially not equitable and not just. I agree with the House in that. I think, let us be benefited by the remarks of this Committee and try to make a headway into this problem.

Again, Madam, the Monopolies Commission has been appointed. The hon. Members doubted the *bona fides* of the Monopolies Commission not in so many words but certainly they have expressed their suspicion that this Monopolies Commission also would meet the same end. But it is primarily for this purpose to see how the trend of concentration of wealth only in a few hands or in a few concerns can be checked and what ways and means must be taken to reduce this concentration of wealth. That is going to be the function of this Monopolies Commission. The Monopolies Commission will not only function like a bureaucratic civil service department. That is why it has been headed by an eminent jurist. It has been supported and supplemented by a leading economist in the country and also some of the experts who have been dealing with company affairs have been put in this Commission so that they could provide benefit of their guidance and knowledge to this Commission. I am sure, the House will exercise a little patience so far as the working of this Commission is concerned and I have no doubt—and I am very sure about it—that this Commission will come to some very fruitful conclusions.

Madam, I appreciate the concern of the House and also the temptation of people to just going in for short cuts to prosperity because they are so tempting and so attractive. If we can achieve prosperity through short cuts, there is nothing like that. Everybody would like to achieve prosperity through short cuts. But in an economy which was basically unplanned before, in an economy which was basically backward before, in an economy which did not have even a guiding line towards the roads of prosperity, in an economy which did not have any technical know-how, in an economy which did not provide any basic strong base to planning—when the planning started, it started with certain initial difficulties which are still there in our planned economy—it is a fact that all these unplanned economic forces and wide profits in a few hands do produce socially bad results and what the situation demands is to really correct the abuses which have come through the wrong direction of the private industrial forces. The House can certainly demand the Government to correct them. For example, I myself feel that when we started having a licensing policy and when we had a definite code for giving licences for the industrial development of this country, we should have seen that the very concentration of licensing should not go into those hands which may

[Shrimati Tarkeshwari Sinha]

be fictitious and which may have direction only towards a few monopolistic concerns. I accept this, that Government should have been more careful when they pioneered the licensing policy. The licensing policy itself should have helped in the more decentralisation of economic forces and economic power into the hands of individuals. At that very time they should have seen that the economic policy is directed towards not only concentration of large-scale industries but towards large-scale industries being balanced by the small-scale industries and the medium-sized industries. And all these industries could be supplemented not only by the private sector but also the cooperative sector. Of course, I agree with the remarks of the hon. Members of the House that the cooperative sector should have been made effective, very, very effective and at least more effective than actually it is today. That would have been one of the ways by which we could have a distributive pattern of income which would have been more healthier. But today to talk that everything that has happened is bad and, therefore, a new committee should go into that question because everything that has happened is not proper and not right, will not do. I feel like saying this. After bathing the baby, the bath water becomes soapy and dirty. You want to throw the bath water; you do not want to throw the baby with the bath water. Let us throw the bath water but let us really preserve the baby. By just destroying the very pattern of our industrial growth, we just cannot reach anything. I would like to quote here a well-known expert on socialism. The hon. Member, Shri Bhagawat Jha Azad remarked that I was doing something else rather than listening to his speech. I was really trying to meet some of his arguments. Even a person like Douglas James who is supposed to be one of the leading experts on socialism, who has been an adviser to the British Labour Party as one of their brains and who has been regarded one of the leading exponents of socialism says this:

> "But where a private firm is not guilty of any of these abuses, it should be frankly and fairly recognised that it is a socially valuable asset, which contributes to the life and growth of the community—as many in areas of unemployment most ardently feel when an efficient private firm erects a modern factory and gives employment to hundreds or thousands. If a private firm, great or small, is technically efficient, competitive and not restrictive; if it reinvests a fair proportion of its profits; if its labour relations and pay are good; if it exports energetically; if its profits are modest in relation to capital; and if it conforms actively with public-policy on employment and location of industry; it can fairly claim to be an asset to society. An intelligent Government......

—please mark these words—

> "......should recognise this and concentrate its efforts on ensuring that firms in the private sector do thus conform with public needs."

Now, certainly, the House can ask the Government that its policy should be that all this private initiative should be channelised for the public good, for the public welfare and for providing social justice. If the private initiative is only diverted for the concentration of power, certainly it is very improper and very undesirable. Therefore, Madam, let us not really be guided by some dogmas. Let us realise that only by passing a Resolution like this or only by appointing a committee of Members of Parliament, we shall not be able to really come to some conclusions which can really take us to a better way of redistribution. I would like to say here that so far as the problem of redistribution is concerned, I do appreciate the concern of the House that the problem of redistribution should be as much seriously the concern of

the Government as the problem of production and growth. Growth includes social justice. Full employment and industrial growth imbibe in itself social justice and social justice can only come through social redistribution of the earnings of the community. I do agree, therefore, that the social justice has to perform as dominant a role as the growth in the economic pattern of this country. Nobody can deny that it is the primary duty of the State to ensure resharing out of the rewards of this economy, and to socialise national income. Socialising national income means not expropriating anything from anybody's hands but to divert the national income towards more conducive and justifiable social purposes. That is what Government should do. I agree with the hon. Members that our pattern of redistribution has to be healthier and it has to undergo a basic healthy change and more redistributive impetus should come into the hands of the State so that socialised redistribution could be achieved in this country.

Shri Yashpal Singh: The hon. Deputy Minister should say something about village indebtedness also

Shrimati Tarkeshwari Sinha: That includes the very problem of village indebtedness as well. Village indebtedness is not a problem in isolation. After all, why is there this village indebtedness? It is there because the earning capacity of that class of people has gone down, and proportionately; the debt in their hands, because they have not been able to meet their day-to-day expenditure with the income they have, has gone up. For meeting that problem, we have to break at so many places. We have to take initiative at so many places. Economic poverty is like a vicious circle. If you want to break at only one point, you would not succeed. In order to really have a successful achievement of going towards this goal, you have to break this vicious circle at many points. So, rural indebtedness is not a problem in isolation. It is concerned with the problem of rise in prices. It is concerned with the economic capabilities of the rural sector. It is concerned with the lack of industrial base in the rural economy, because rural economy is primarily a rural economy, and so to say, a very backward rural economy. The individual produce of individual fields has hardly increased. It may be a fact that the total production of agriculture has increased, but when I go to the villages, I myself find that individual produce of individual agriculturists or of the individual labourers has not increased very much or very satisfactorily. That is a fact, and because of the rise in prices and because he has to buy so many things at higher prices, his ability to conserve savings gets proportionately reduced. My hon. friend quoted some figures from the Reserve Bank to show that rural indebtedness was still a very big problem to solve. There is a big chunk of rural indebtedness still in existence, and it is necessary that while having redistribution of income pattern in this country, it should not only cover urban areas but it should also cover the rural areas.

But the question is how this inequality has to be reduced. Is it to be reduced by only making the income pattern conform to the ratio of 1 : 30? So far I have tried to answer the first part of my hon. friend's resolution which suggests that a committee should be appointed. Now, I would like to deal with the second part of his resolution where he makes a proposal that the income pattern should be on the basis of 1 : 30.

In this connection, I would like to bring to the notice of the House the Report of the Taxation Enquiry Commission of 1954. The question of fixing a ceiling on personal income on the basis of a reasonable multiple of the *per capita* or per family income was considered by this commission, and the views of the commission on this subject were as follows, which I would like to read out for the benefit

[Shrimati Tarkeshwari Sinha]

of the House. The commission had stated:

"It is our view that there should be a ceiling on net personal income after tax, which, generally speaking . . .

—mark the words 'generally speaking'—

". . . should not exceed approximately 30 times the prevailing per family income in the country. We do not suggest that this is capable of immediate implementation, but we think that it is important to strive by stages for its implementation over a period of time. The accomplishment of this objective cannot merely be the result of tax changes, but must be related to an integrated approach along several directions. The most important phase of this approach would be an acceleration of the tempo of economic development and a widening of employment and production opportunities. Fiscal policy has an important place in it, but this is necessarily subject to economic circumstances and the practical possibility of achieving it in given time.".

Therefore, I would like to stress here that the Taxation Enquiry Commission's recommendations themselves felt a little bit reserved about recommending any one solution to this problem. I do not deny that they have suggested that the pattern should be 1:30. If we could have a pattern of income on the basis of 1:30, there is nothing like that, and this country would be most happy to have an income pattern on the basis of 1·30. That should be our ultimate objective. I agree to the spirit behind this resolution and say that that should be our objective. But so far as the implementation of that objective and bringing it into tangible shape is concerned, this cannot be done by one stroke of the pen or by a magic wand; it has to be orientated by a total policy so that by all the steps that we take, we can more forward smoothly and definitely towards our ambition namely that the inequality of income between person and person should be reduced to the maximum possible extent.

I would not like to criticise any country, but, for the benefit of hon. Members, I would like to quote here certain figures from the Soviet Union which is wedded to this basic policy of complete equality.

Shri S. M. Banerjee: Please do not.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: I would like to quote certain figures. Probably that will benefit some hon. Members. Perhaps, my hon. friend might be knowing them already.

Shri S. M. Banerjee: That does not satisfy us.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: I am sorry that, that does not satisfy my hon. friend. I do not know that the hon. Member is so unsatisfied. However, I would read out those figures for my own benefit, so that I may have the satisfaction of at least making my arguments a little more convincing that even in a country which is committeed to the socialist pattern and is committed to complete equality between all individuals, between man and man, and woman and woman, they have not been able to reduce the inequalities completely. The lower grades of unskilled workers in the USSR get a wage of 300 to 500 roubles a month. The salary of a factory director is often as much as 10,000 roubles a month or more. Probably, the salaries of scientists and writers and poets are more. Apart from the sizable differences in wages and salaries, the USSR has found it necessary to make large payments by way of bonuses and other benefits to workers and managers who make a special contribution to production. They have been keeping up this sys-

tem of incentive to the individual, if he can add to the production. In fact, even Mr. Khruschev said the other day something in support of this. He supported this idea of payment of individual incentive and said that individual incentives were very necessary for increased healthy production in the country. I am not bringing in these figures only to convince hon. Members of this House of what. I am saying but also to point out that though our objectives are also the same, namely to reduce inequality of income, we have to bear in mind the fact that in even those countries which have been committed to this policy and have been trying to move in this direction from long before we planned, they have not been able to bring about complete equality of income.

That is why I say that not one solution alone can solve this problem. But there are several ways. Taxation is one of the ways. I hope my hon. friends would appreciate that actually the Finance Minister is sandwiched between the two. He is like a tongue living between two sets of teeth. If one set of teeth comes and hangs on the tongue, the tongue is hurt; if the other set of teeth hangs on the tongue, then also it is hurt. So, the Finance Minister's job is not at all an enviable one. What can the Finance Minister do? After levying this taxation and after increasing the estate duty to 85 per cent, he is branded as if he has completely sacrificed the business incentive. Both inside and outside the House, people who are in business say that the Finance Minister has throttled the business incentive. It is really painful to hear some hon. Members saying that the Finance Minister's taxation policies have supported big business. I would like to know where the Finance Minister has supported big business. The estate duty has been enhanced, as I have already pointed out, to 85 per cent. Even a socialist economist like Mr. Owen and so many others have said that taxation is one of the best ways to equalise income and to reduce inequality of income.

So far as direct taxation is concerned, our quantum of taxation is not at all low. People say that it is the highest in the world.

Shri Thirumala Rao (Kakinada): It is the highest in the world.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: But I have my own reservations about that. However, I would certainly say that it is one of the highest in the world. This year's budget has provided specifically a disincentive to that part of income which goes and gets blocked into an unearned channel. The enhancement of the capital gains tax, the gift tax and the estate duty has been done primarily for this purpose.

Then, there are other ways too, such as providing more social benefits and amenities. More social benefits means providing educational facilities, providing housing facilities, providing amenities to workers, labourers and peasants, providing the benefit of books, providing benefits of transport and not the least, providing things cheaply to that class of population which suffers.

I am sure that Government have much to do about this aspect of providing cheaper things for a very hard-pressed population. The Government are seriously concerned about the rise in prices and are trying to do something about it. But the pattern is so complex in its distribution. Even Shri Asoka Mehta, when he went into the problem of foodgrains in that inquiry, said about prices that controls are very good and distribution by the State is very good in case we have got the administrative machinery. We do not want to get bogged down in bureaucratic red-tape again. We must have a machinery to fulfil the task which is entrusted to it. Bureaucratic red-tape would be horrible for this country.

[Shrimati Tarkeshwari Sinha]

Therefore, it is not lack of intention or lack of honesty on the part of Government if they do not accept this Resolution. Government are deeply concerned about these problems. I would like to assure the House that it is not correct in thinking that we are taking matter lightheartedly.

Of course, hon. Members pointed out before I started, that as usual, Government would ask for the withdrawal of this Important Resolution. If I do ask for its withdrawal, it is because I do not want to add this stigma to Parliament or to Government that we have voted down this Resolution. Therefore, I would very humbly ask of the Members of the House to add dignity to this Resolution by withdrawnig it so that Government's door, mind and avenues may be open, and we should not be blamed that we have defeated and throttled this very significant Resolution by voting it down. Therefore, I would appeal to the hon. Member to withdraw this Resolution. I assure him again that Government appreciate the feeling behind his Resolution and Government are seriously concerned about it.

श्री भी० प्र० यादव: सभानेत्री महोदया, सर्वप्रथम मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है, आभार प्रकट करता हूं। उन सभी माननीय सदस्यों का करीब करीब एक ही विचार था कि हमारे देश में आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा है। इससे किसी ने भी इंकार नहीं किया है।

अभी-अभी उप वित्त मन्त्राणी महोदया ने जो उत्तर दिया है। उनका यह उत्तर बहुत सन्तोषजनक मुझे नहीं लगा।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : सन्तोषजनक नहीं था तो इसको वापिस न लीजियेगा।

श्री भी० प्र० यादव : सवाल यह है कि एक और तीस का जो रेशियो रखा गया था वह रेशियो बढ़ रहा है या घट रहा है, आर्थिक विषमता इस सीमा से बढ़ रही है या घट रही है, उसका रुझान बढ़ने की तरफ है या घटने की तरफ है ? उसका रुझान घटने की तरफ है या नहीं इसके बारे में कोई सन्तोषजनक बात मन्त्राणी जी ने नहीं कही है। यह मानी हुई बात है जैसा उन्होंने भी कहा है कि आर्थिक विषमता बहुत अधिक है। यह भी उन्होंने माना है कि हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा है। मैं तो केवल यह जानना चाहता था कि जब हमारा देश विकसित हो रहा है तो आय की विषमता की प्रवृत्ति घटने की ओर है या बढ़ने की ओर है। जैसा कि महालोनबीस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बढ रही है उसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये और आपको प्रयत्न करना चाहिये कि वह घटे। उत्तर में अभी कहा गया है कि वह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। यह भी उत्तर में कहा गया है कि एकाधिकार कमीशन की नियुक्ति की गई है और जब इस की रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर भी विचार करके उचित कदम उठाये जायेंगे। महालोनबीस कमेटी ने चार वर्ष के बाद अपने सुझाव आपके सामने रखे हैं और मैं समझता हूं कि यदि उनको मान लिया जाए तो भी इस देश का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है।

माननीय सदस्यों ने आर्थिक विषमता के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किए हैं, उन पर भी आपका ध्यान जाना चाहिये। आपको उन सुझावों को कार्यान्वित करने की चेष्टा करनी चाहिये। जो चीजें प्रकाश में लाई गई हैं अगर उनकी ओर समुचित ध्यान दिया गया और उचित कार्रवाई की गई तो आम लोगों में आशा का संचार होगा, और लोग समझेंगे कि सरकार वास्तव में कुछ इस दिशा में करना चाहती है, देश से आर्थिक विषमता घटाने के बारे में कुछ कार्रवाई करना चाहती है। मैं इस प्रस्ताव को इसलिए वापिस लेना . . .

श्री ओंकार लाल बेरवा : यह सही बात नहीं है ।

श्री भी० प्र० यादव : सुन तो लीजिये ।

मैं इस प्रस्ताव को इसलिए वापिस लेना चाहता हूं कि महलोनवीस कमेटी की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और उस पर वह उचित कार्रवाई करने का विचार रखती है । साथ साथ उसने एकाधिकार कमिशन की जो नियुक्ति की है, वह भी सही दिशा में एक कदम है । उसकी जो रिपोर्ट होगी, वह भी काफी महत्वपूर्ण होगी । उसकी रिपोर्ट भी जब तक नहीं आ जाती और उस पर भी जब तक विचार नहीं हो जाता, तब तक मैं नहीं समझता कि इस प्रस्ताव को प्रैस करने की कोई आवश्यकता है और मैं इसको वापिस लेता हूं ।

Shri P. R. Chakraverti: Only one question before we exercise the right of vote. Is there any policy of the Government regulating unearned incomes and windfall profits?

Shrimati Tarkeshwari Sinha: This year's Budget proposals themselves have given an indication of regulating unearned incomes, that is income which accrues to a person not by his own labour. I think this is a beginning of the policy. I would like to inform the hon. Member that in every country it has happened even in the Scandinavian countries which are socialist in their nature and respected, when they started industrial development they had concentration of wealth in a few hands, and then through measures of social justice and equity which they brought about they have been able to redistribute the income. Even in Britain and USA they have been able to redistribute income through social measures and they are levelling down the level of unearned income while increasing the incentive to the individual to earn income, and thus they have been able to redistribute, I am sure the Government is also conscious of this fact and would take all steps. It is not within my competence to describe all the steps because, as I said in the beginning, it is an accumulation of so many steps which we have to take simultaneously to solve this problem. Therefore, I would say that the hon. Members should show this little indulgence to Government.

Shri U. M. Trivedi: I would like to know whether the principle which has been enunciated by the hon. Minister will apply also to the unearned income of this Government.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: I do not understand. I think the hon. Member is really taunting and sarcastic. If he means that Government auctions land or takes some rent, I would point out that there is a fundamental difference between an individual and Government. The money that comes to the Government goes to the Exchequer and goes back to the public again.

Mr. Chairman: There are two amendments to this resolution. I shall put amendment No. 1 of Shri Yashpal Singh to the House.

The amendment was put and Negatived

Mr. Chairman: Amendment No. 2 by Shri D. S. Patil:

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : जब प्रस्ताव ही वापिस लिया जा रहा है तो मैं भी अपनी एमेंडमेंट को वापिस लेता हूं । उस का क्या फायदा है ?

Mr. Chairman: Has he the leave of the House to withdraw his amendment?

Hon. Members: Yes.

The amendment was, by leave, withdrawn

Mr. Chairman: Is he withdrawing his resolution?

Shri B. P. Yadava: Yes.

Mr. Chairman: Does he have the leave of the House to withdraw his resolution?

Some Hon. Members: Yes.

The resolution was, by leave, withdrawn.

16.40 hrs.

RESOLUTION *RE*: NATIONAL POLICY IN EDUCATION

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद (नालंदा) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं ।

"इस सभा की यह राय है कि शिक्षा सम्बंधी राष्ट्रीय नीति के सभी पहलुओं पर विचार करने और आगामी तीन योजना अवधियों के लिये तदनुसार कार्यक्रम तयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए समुचित शासनतंत्र का सुझाव भी देने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये ।"

16.41 hrs.

[SHRIMATI RENU CHAKRAVARTTY *in the Chair*]

इसके साथ ही मैं अपना यह संशोधन भी पेश करता हूं कि :

"संसद सदस्यों की एक समिति के स्थान पर 'शिक्षा आयोग' का प्रयोग किया जाये ।"

मैंने इस संकल्प को इस सदन के सामने बहुत सोच विचार के बाद कई कारणों से उपस्थित किया है। उन में सब से बड़ा कारण यह है कि साधारण तौर से हमारी सरकार का ध्यान शिक्षा की ओर कम है, और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न पर जितना जोर दिया जाना चाहिये उस सम्बंध में नीति निर्धारण में जितनी स्पष्टता होनी चाहिए और उस के प्रति हमारे दिल में जो भावना होनी चाहिये, उसका हम अभाव पाते हैं । यह सही है कि इस साल जब शिक्षा विभाग की मांग प्रस्तुत की गई तो उसके साथ ही जो रिपोर्ट हमारे सामने आई उस में हम पाते हैं कि पहली बार हमारी केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा के प्रति उसका जो दायित्व है उसे स्वीकार किया है । लेकिन यह स्थिति बड़ी दुखद है कि १७ वर्षों के बाद केन्द्रीय सरकार ने इस बात का अनुभव किया कि शिक्षा के प्रति भी उस का कुछ दायित्व है । यह और भी दुखद बात है कि हम यह भूल गये कि राष्ट्रीय आन्दोलन चल रहा था तब महात्मा गांधी ने वार्धा में सन् १९३७ में शिक्षा के सम्बंध में जो सम्मेलन हुआ था उस में यह बात कही थी कि बाद में हम अनुभव करेंगे कि अगर इस देश को मैंने कोई सब से महत्वपूर्ण चीज दी है तो वह शिक्षा सम्बंधी हमारी योजना है, हमारा दृष्टिकोण है । यह बड़े दुःख की बात है कि जिन लोगों के हाथ में इस देश का नेतृत्व रहा वे राष्ट्र पिता के इस उत्तराधिकार को, उनकी इस देन को भूल गये

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इन १७ वर्षों में हमने अभी तक कई नीतियों की घोषणा की है और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये है लेकिन शिक्षा के सम्बंध में हमने अभी तक कोई नीति घोषित नहीं की है, अपना कोई दृष्टिकोण स्थिर नहीं किया है । और जगह भी अस्पष्टता हो सकती है, नीति का अभाव हो सकता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में नीति की जितनी अस्पष्टता है, जितना अभाव है, एकसूत्रता की जितनी कमी है, एक आदर्श का जितना अभाव है, वैसा सम्भवतः किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं है । इसी लिये हम अक्सर सुनते हैं कि विद्यार्थियों में असन्तोष है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, देश में भावात्मक एकता की कमी है, राष्ट्रीय भावना कमजोर होती जा रही है और राष्ट्र निर्माण के लिये जैसी निष्ठा चाहिये, जैसा संकल्प चाहिये, जैसा